[2021] 1 एस. सी. आर. 344

हिमाचल प्रदेश बस स्टैंड प्रबंधन और

विकास प्राधिकरण (एच. पी. बी. एस. एम. और डी. ए.)

वी.

केंद्रीय सशक्त समिति ई. टी. सी. और ओ. आर. एस.

(सिविल अपील सं। 5231-32 2016 का)

12 जनवरी, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

इंदू मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

पर्यावरण कानून: वन भूमि-मैकलियोड गंज में बस स्टैंड और पार्किंग स्थल के निर्माण के लिए वन भूमि का मार्ग परिवर्तन

बस स्टैंड परिसर में होटल-सह-रेस्तरां संरचना का निर्माण-वैधता-दिनांक 12 नवंबर 1997 के आदेश द्वारा, एम. ओ. ई. एफ. ने एस. के अनुसार मैकलियोड गंज में पार्किंग स्थान के निर्माण के लिए वन भूमि के 0.093 हेक्टेयर को मोड़ने की अनुमति दी। 2 वन अधिनियम का एक अन्य आदेश दिनांक 1 मार्च 2001 को एम. ओ. ई. एफ. द्वारा मैकलियोड गंज में एक बस स्टैंड के निर्माण के लिए अन्य 0.48 हेक्टेयर वन भूमि को मोड़ने के लिए पारित किया गया था-अप्रैल 2000 में,

अपीलार्थी-बस अड्डों के निर्माण के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया था हिमाचल प्रदेश राज्य में-2006 में, 12 नवंबर 1997 और 1 मार्च के आदेशों के तहत भूमि को गैर-वन उपयोग के लिए मोड़ दिया गया था।

2001 मैकलियोड गंज में पार्किंग सुविधा के निर्माण के लिए अपीलार्थी को 99 साल के पट्टे पर हस्तांतरित किया गया था-अपीलार्थी एक बस स्टैंड-सह-पार्किंग परिसर के निर्माण का निर्णय लिया और दूसरे प्रतिवादी की सबसे कम बोली को मंजूरी दी-दूसरे प्रतिवादी ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टी. सी. पी.) विभाग द्वारा योजनाओं और चित्रों की मंजूरी की प्रतीक्षा किए बिना बस स्टैंड परिसर का निर्माण शुरू कर दिया-इसके बाद टी. सी. पी. विभाग को बस स्टैंड परिसर के चित्रों की मंजूरी के लिए आवेदन प्राप्त हुआ टी. सी. पी. विभाग ने कुछ कमियों की ओर इशारा किया-जब दूसरे प्रतिवादी ने कमियों को सुधारने के बिना निर्माण जारी रखा, तो टी. सी. पी. विभाग ने अपीलकर्ता से बस स्टैंड परिसर के निर्माण को रोकने का आह्वान किया।

सी. ई. सी., एन. जी. टी. ने निष्कर्ष दिया कि परियोजना प्रस्तावक ने न केवल उचित अनुमोदन प्राप्त किए बिना निर्माण शुरू किया और

संबंधित राज्य और केंद्र सरकार से मंजूरी लेकिन कुछ अधिकारियों के साथ मिलीभगत से भी काम किया था जिन्होंने निर्माण शुरू करने के लिए सहमति दी थी जो पूरी तरह से अनावश्यक था

344 (एच. पी. बी. एस. एम. और डी. ए.) v. केंद्रीय सशक्त समिति ई. टी. सी. और ओ. आर. एस.

के लिए और अवैध था-इसलिए तत्काल अपील-आयोजित: बस स्टैंड परिसर में होटल-सह-रेस्तरां संरचना का निर्माण अवैध था और यह कानून का सरासर उल्लंघन था-12 नवंबर 1997 को एम. ओ. ई. एफ. द्वारा दी गई अनुमति केवल मैकलियोड गंज में 'पार्किंग स्थल' के निर्माण के लिए थी-इसी तरह, 1 मार्च 2001 को दी गई अनुमति उसी क्षेत्र में 'बस स्टैंड' के निर्माण के लिए दी गई थी-किसी भी समय पर होटल या वाणिज्यिक संरचना के निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी-अपीलकर्ता, एक निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए निर्माण में संलग्न होने की अनुमति दिए जाने पर, उस अनुमति का गैरकानूनी रूप से उपयोग किया।

एक अलग संरचना के निर्माण का आधार जो अधिकृत नहीं था-इसने वन अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए ऐसा किया-एस के प्रावधान। 2 वन अधिनियम का सख्त और समयनिष्ठ अनुपालन अनिवार्य केवल पर्याप्त अनुपालन पर्याप्त नहीं है -

राज्य सरकार के सांविधिक निकायों के अधिकारियों ने कानून के उल्लंघन पर सांठगांठ की जो उन लोगों द्वारा शासन की प्रकृति पर एक प्रतिबिंब है जिनसे कानून की सीमा के भीतर कार्य करने की उम्मीद की जाती है-एनजीटी ने इस प्रकृति के मामले में अपने अधिदेश के भीतर काम किया, जहां अपीलार्थी ने सक्रिय रूप से अनुमति दी

पर्यावरण मानदंड-निर्माण पर जिज्ञासा नहीं देख रहा है

होटल-सह-रेस्तरां संरचना, एक ऐसे क्षेत्र में जिसे एनजीटी सही रूप से "प्रकृति की गोद" के रूप में वर्णित करता है, न्यायिक रूप से स्वीकृत पर्यावरण विनाश के मार्ग पर ले जाएगा-निर्देश पारित किए गए

बस स्टैंड परिसर में होटल-सह-रेस्तरां संरचना को ध्वस्त करें-इसके अलावा, एनजीटी के निर्देश के अनुसार, हिमाचल प्रदेश राज्य और दूसरा प्रतिवादी पार्किंग स्थान का उपयोग कर सकते हैं। और बस स्टैंड परिसर में बस स्टैंड, होटल-सह-रेस्तरां संरचना के विध्वंस के बाद-हालांकि, यह एम. ओ. ई. एफ. द्वारा जारी 12 नवंबर 1997 और 1 मार्च 2001 के आदेशों के अनुसार होना चाहिए, यानी, इसका उपयोग कारों और बसों की पार्किंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, जैसा भी मामला हो-वन अधिनियम - धारा 2 हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम नियोजन अधिनियम, 1977।

पर्यावरण कानून: कानून का पर्यावरणीय शासन-आयोजित की जाने वाली आवश्यक विशेषताएं: यह कार्बन पदचिह्नों की प्रकृति और परिणामों के बहु-अनुशासनात्मक विश्लेषण की सुविधा प्रदान करना चाहता है और ऐसा करने में यह पर्यावरण के क्षेत्र में विज्ञान, नियामक निर्णयों और नीतिगत दृष्टिकोणों के बीच एक साझा समझ लाता है।

संरक्षण-यह मान्यता देता है कि पर्यावरण में 'कानून' तत्व [2021] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून का शासन अवधारणा को विशेष रूप से संरक्षित नहीं करता है

वकीलों और न्यायाधीशों-इसके विपरीत, यह पर्यावरण क्षरण, जलवायु परिवर्तन और आवासों के विनाश से उत्पन्न वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने में सभी हितधारकों को शामिल करना चाहता है-कानून का पर्यावरण नियम इन अवधारणाओं की एक एकीकृत समझ चाहता है।

सतत विकास, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत और विश्वास सिद्धांत जैसी अवधारणाओं के बीच संबंध।

कानून का पर्यावरणीय नियम-उल्लंघन-हाथ में मामले में, होटल-सह-रेस्तरां के निर्माण का सटीक प्रभाव

अपीलार्थी और दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर संरचना को मात्रात्मक शब्दों में निर्धारित नहीं किया जा सकता है-अपीलार्थी के तीसरे पक्ष के सलाहकारों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का पालन किए बिना निर्माण में लगे पक्ष, जिन पर आर. एफ. पी. में उनके द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी-निर्माण तब भी आगे बढ़ा जब टी. सी. पी. विभाग ने इसे रोकने की कोशिश की, अपनी योजनाओं को मंजूरी देने से इनकार कर दिया-यहां तक कि एम. ओ. ई. एफ. द्वारा क्षेत्र की प्रकृति को बदलने के लिए कार्योत्तर इनकार।

मोड़ दी गई वन भूमि पक्षों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी-अंततः, जब उन्हें सी. ई. सी. द्वारा निर्माण रोकने के लिए मजबूर किया गया, तो उन्होंने इस न्यायालय के एक आदेश की आड़ में इसे आगे बढ़ाया, जिसमें केवल कानूनी निर्माण की अनुमति दी गई थी-इनमें से एक संयोजन

उजागर की गई परिस्थितियाँ न केवल आचरण की उपेक्षा करती हैं

उनके कार्यों के पर्यावरणीय परिणाम, लेकिन वाणिज्यिक लाभों के पक्ष में उनके लिए एक सक्रिय तिरस्कार जबकि दूसरा

प्रत्यर्थी एक निजी संस्था थी, अपीलार्थी द्वारा इन प्रयासों में उनका सक्रिय रूप से समर्थन किया गया था-इसलिए, उनके कार्य कानून के पर्यावरणीय नियम का उल्लंघन करते थे-कानून का पर्यावरणीय नियम

निश्चित रूप से इसका मतलब है कि इस तरह के निर्माण को स्वीकृति नहीं मिल सकती है, चाहे इसके आर्थिक लाभ कुछ भी हों।

न्यायशास्त्र: कानून का शासन और कानून द्वारा शासन-भेद

के बीच-एक संवैधानिक ढांचे में जिसका उद्देश्य उदार मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध लोकतंत्र का निर्माण, पोषण और रक्षा करना है, नियम

कानून की आधारशिला प्रदान करता है-कानून का शासन होना चाहिए

कानून द्वारा शासन से अलग-पूर्व स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों और सम अनुप्रयोग के सिद्धांतों के साथ एक कानूनी शासन की स्थापना को समझता है, कानून का एक शासन जो बनाए रखता है

स्वतंत्रता, समानता और उचित प्रक्रिया के मौलिक अभिधारणा-कानून का शासन एक ऐसे कानून को अभिधारणा देता है जो संवैधानिक (एच. पी. बी. एस. एम. और डी. ए.) v.

केंद्रीय सशक्त समिति ई. टी. सी. और ओ. आर. एस.

मानकों-उस अर्थ में कानून उतना ही जवाबदेह है जितना वह सटीक अनुपालन करने में सक्षम है-दूसरी ओर कानून द्वारा शासन का अर्थ एक निरंकुश कानून द्वारा शासन हो सकता है-यह कानून की न्यायसंगत गुणवत्ता और तर्क के पालन को बनाए रखने के लिए है जो कानून का शासन में उपदेश देता है।

संवैधानिक लोकतंत्र संवैधानिक नींव पर टिका हुआ है-ए

कानून के ढांचे का शासन उन संस्थानों पर निर्भर करता है जो शासन का चाप प्रदान करते हैं-संरचनात्मक मानदंडों पर ध्यान केंद्रित करके जो संस्थागत निर्णय लेने में मार्गदर्शन करते हुए, कानून के ढांचे के नियम संस्थानों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका और उन मानदंडों और प्रक्रियाओं को परिभाषित नहीं करने के गंभीर परिणामों को पहचानते हैं जिनके द्वारा वे गठित, रचित और शासित होते हैं-इसलिए कानून के ढांचे का एक आधुनिक नियम अपने विस्तार में व्यापक है और

यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता शासन की एक न्यायपूर्ण प्रणाली का केंद्र बिंदु है और जिसके बिना प्रशासनिक विवेक और पूर्ण शक्ति द्वारा मानव गरिमा को नष्ट किया जा सकता है-कानून का शासन तब एक संग्रह से परे रहता है जो कानून के नियमों को पवित्र करता है-इसके तत्वों में मूल सिद्धांत, प्रक्रियात्मक गारंटी और संस्थागत सुरक्षा उपाय शामिल हैं जो उत्तरदायी, जवाबदेह और संवेदनशील शासन सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010: क्या एनजीटी टीसीपी अधिनियम के उल्लंघन पर निर्णय ले सकता था, जो एक नहीं है

एन. जी. टी. अधिनियम की अनुसूची I में मौजूद अधिनियम-आयोजितः टी. सी. पी. अधिनियम के प्रावधानों में अपीलकर्ता और दूसरे प्रतिवादी को अपने निर्माण के माध्यम से भूमि की प्रकृति को बदलने से पहले टी. सी. पी. विभाग से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता थी-इस शर्त के गैर-अनुपालन के कारण उनके पर्यावरणीय दायित्वों का उल्लंघन हुआ-किसी भी मामले में, यह प्रश्न तत्काल मामले में अकादमिक है क्योंकि एन. जी. टी. का विवादित निर्णय अपीलकर्ता और दूसरे प्रतिवादी के एस. के उल्लंघन में अपने निर्णय को आधार बनाता है। 2 वन अधिनियम, जो एन. जी. टी. अधिनियम-वन अधिनियम-की अनुसूची I के भीतर मौजूद एक अधिनियम है। धारा 2-हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम नियोजन अधिनियम, 1977।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. सी. ई. सी. की रिपोर्ट अपीलार्थी के कार्यों का एक गंभीर अभियोग है। सी. ई. सी. रिपोर्ट इंगित करती है किः (i) बस स्टैंड परिसर में होटल-सह-रेस्तरां संरचना का निर्माण अवैध था; (ii) भूमि आरक्षित वन थी; (2021) 1 एस. सी. आर.

(iii) होटल-सह-रेस्तरां संरचना के निर्माण के लिए भूमि को मोड़ने की कोई वैध अनुमति नहीं थी; (iv) वन अधिनियम की सहमति केवल पार्किंग सुविधा और बस स्टैंड के लिए ली गई थी; (v) पूरे बस स्टैंड परिसर की योजनाओं के लिए टीसीपी विभाग से कोई वैध मंजूरी नहीं थी; और

(vi) अंत में निर्मित बस स्टैंड परिसर आर. एफ. पी. में अपीलार्थी की अपनी प्रस्तावित योजनाओं के अनुरूप नहीं है। जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उस तरीके का एक आश्चर्यजनक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है जिसमें होटल-सह-रेस्तरां संरचना का निर्माण वैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हुए किया गया था और यह कैसे कई राज्य अभिनेताओं की मिलीभगत से संभव हुआ था। एन. जी. टी. के फैसले में जो निष्कर्ष सामने आए हैं, वे जिले द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट द्वारा समर्थित हैं।

और सत्र न्यायाधीश। एनजीटी ने इस प्रकृति के मामले में अपने अधिदेश के भीतर काम किया, जहां अपीलार्थी ने पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन में एक संरचना के अपराध की सक्रिय रूप से अनुमति दी। एक ऐसे क्षेत्र में, जिसे एन. जी. टी. "प्रकृति की गोद" के रूप में वर्णित करता है, होटल-सह-रेस्तरां संरचना के निर्माण पर ध्यान न देना, न्यायिक रूप से स्वीकृत पर्यावरण विनाश के मार्ग पर ले जाएगा। [पैरा 43,44,45] [375-एफ-एच; 376-ए-बी, एच; 377-ए]

2.1 एक संवैधानिक ढांचे में जिसका उद्देश्य उदार मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध लोकतंत्र का निर्माण, पोषण और रक्षा करना है,

कानून का शासन आधार प्रदान करता है। कानून के शासन को कानून द्वारा शासन से अलग किया जाना है। पूर्व स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों और सम अनुप्रयोग के सिद्धांतों के साथ एक कानूनी शासन की स्थापना को समझता है, कानून की एक व्यवस्था जो बनाए रखती है

स्वतंत्रता, समानता और उचित प्रक्रिया के मौलिक अभिधारणाएँ। द.

कानून का शासन एक ऐसे कानून को अभिनिर्धारित करता है जो संवैधानिक मानदंडों के प्रति जवाबदेह हो। इस मायने में कानून उतना ही जवाबदेह है जितना वह सटीक अनुपालन करने में सक्षम है। दूसरी ओर कानून द्वारा शासन

हाथ का अर्थ एक निरंकुश कानून द्वारा शासन हो सकता है। यह कानून की न्यायसंगत गुणवत्ता और इसके कारण के पालन को बनाए रखने के लिए है कि संवैधानिक लोकतंत्रों में कानून का शासन संवैधानिक पर निर्भर करता है। नींव। कानून के ढांचे में कानून के नियम शामिल होते हैं लेकिन यह उससे कहीं अधिक करता है। यह सार और प्रक्रिया के मामलों को मूर्त रूप देता है। यह उन संस्थानों पर आधारित है जो शासन की कमान प्रदान करते हैं। संरचनात्मक मानदंडों पर ध्यान केंद्रित करके जो मार्गदर्शन करते हैं (एच. पी. बी. एस. एम. और डी. ए.) v.

केंद्रीय सशक्त समिति ई. टी. सी. और ओ. आर. एस.

संस्थागत निर्णय लेना, कानूनी ढांचे का शासन संस्थानों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका और गंभीर परिणामों को पहचानता है। जिन मानदंडों और प्रक्रियाओं के द्वारा उनका गठन, रचना और शासन किया जाता है, उन्हें अनिर्धारित छोड़ देना। इसलिए कानून के ढांचे का एक आधुनिक नियम अपने व्यापक और दायरे में व्यापक है। यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता शासन की एक न्यायपूर्ण प्रणाली का केंद्र बिंदु है और जिसके बिना प्रशासनिक विवेक और पूर्ण शक्ति द्वारा मानव गरिमा को नष्ट किया जा सकता है। कानून का शासन तब एक संग्रह से परे रहता है जो कानून के नियमों को पवित्र करता है। इसके तत्वों में मूल सिद्धांत, प्रक्रियात्मक गारंटी और संस्थागत सुरक्षा उपाय शामिल हैं जो उत्तरदायी, जवाबदेह और संवेदनशील शासन सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। [पैरा 46] [377-बी-जी]

2.2 कानून का पर्यावरणीय शासन, एक निश्चित स्तर पर, कानून के शासन की अवधारणा का एक पहलू है। लेकिन इसमें विशिष्ट शामिल हैं।

ऐसी विशेषताएं जो पर्यावरण शासन के लिए अद्वितीय हैं, ऐसी विशेषताएं जो सुई जेनरिस हैं। कानून का पर्यावरण नियम पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा में संरचना लाने के लिए वैचारिक, प्रक्रियात्मक और संस्थागत आवश्यक उपकरण बनाने का प्रयास करता है। यह पर्यावरण के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए ऐसा करता है।

चुनौती-अतीत में प्रकृति के साथ मानवता के संपर्क से उन्हें कैसे आकार दिया गया है, वर्तमान में प्रकृति के साथ इसके जुड़ाव और भविष्य की संभावनाओं से वे कैसे प्रभावित होते रहते हैं, अगर हम विनाश के मार्ग को मौलिक रूप से नहीं बदलते हैं जो मानवता के कार्यों ने निर्धारित किया है। कानून का पर्यावरण नियम कार्बन पदचिह्नों की प्रकृति और परिणामों के बहु-अनुशासनात्मक विश्लेषण को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करता है और ऐसा करने में यह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विज्ञान, नियामक निर्णयों और नीतिगत दृष्टिकोणों के बीच एक साझा समझ लाता है। यह मानता है कि कानून के पर्यावरणीय शासन में 'कानून' तत्व अवधारणा को विशिष्ट रूप से वकीलों का संरक्षण नहीं बनाता है।

और न्यायाधीश। इसके विपरीत, यह वर्तमान से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने में सभी हितधारकों को शामिल करना चाहता है पर्यावरणीय क्षरण, जलवायु परिवर्तन और आवासों के विनाश से उत्पन्न चुनौतियों। कानून का पर्यावरणीय नियम इन अवधारणाओं की एक एकीकृत समझ चाहता है। टिकाऊ [2021] 1 एस. सी. आर. जैसी अवधारणाओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध हैं।

विकास, प्रदूषक सिद्धांत और विश्वास सिद्धांत का भुगतान करता है।

प्रकृति का ब्रह्मांड अविभाज्य और एकीकृत है। पृथ्वी के एक भाग में पर्यावरण की स्थिति प्रभावित करती है और है मूल रूप से दूसरे भाग में जो होता है उससे प्रभावित होता है। पर्यावरण का प्रत्येक तत्व दूसरों के साथ एक सहजीवी संबंध साझा करता है। यही वह अविभाज्य बंधन और जुड़ाव है जिसे कानून का पर्यावरणीय नियम मानवता के अस्तित्व को खतरे में डालने वाली समस्याओं का समाधान खोजने के लिए तलाशना और समझना चाहता है। कानून का पर्यावरणीय नियम स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाने वाले हमारे कार्यों के परिणामों को समझने की आवश्यकता पर आधारित है। द.

महासागरों में वृद्धि न केवल समुद्री समुदायों के लिए खतरा है। तापमान में वृद्धि, ग्लेशियरों का कमजोर होना और बढ़ना मरुस्थलीकरण के परिणाम हैं जो इससे परे जाते हैं

ऐसे समुदाय और जीव जिनके आवास खतरे में हैं। वे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य के अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। कानून का पर्यावरणीय नियम एक समझ बनाने का प्रयास करता है

पर्यावरण पर नियामक शासन। ऐसा करने में, यह पर्यावरण की चिंताओं पर खुले, जवाबदेह और पारदर्शी निर्णय लेने की व्यवस्था को बढ़ावा देता है। यह सहभागी शासन के महत्व को बढ़ावा देता है-जो पर्यावरण नीतियों और जनता से सबसे अधिक प्रभावित लोगों को आवाज देने में महत्वपूर्ण है। परियोजनाएं। कानून के पर्यावरणीय शासन की संरचनात्मक रूपरेखा मूल, प्रक्रियात्मक और संस्थागत तत्वों से बनी है। विश्लेषण के साधन कानूनी अवधारणाओं से परे हैं। ढांचे का परिणाम इसके भागों के कुल योग से कहीं अधिक है। यह जिन तत्वों को मूर्त रूप देता है, वे प्रकृति के वरदानों को अस्तित्व के खतरों से बचाने की आकांक्षा रखते हैं। क्योंकि यह (एच. पी. बी. एस. एम. और डी. ए.) वी. पर आधारित है।

केंद्रीय सशक्त समिति ई. टी. सी. और ओ. आर. एस.

सार्वभौमिक मान्यता कि मानव अस्तित्व का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज पर्यावरण का संरक्षण, सुरक्षा और पुनर्जनन कैसे करते हैं। [पैरा 47] [377-जी-एच; 378-ए-एच; 379-ए-सी]

पर्यावरण कानून केंद्र, डब्ल्यू. डब्ल्यू. एफ.-I v. भारत संघ [2013] 6 एससीआर 757; हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। भारत संघ (2019) 15 एससीसी 401 [2019] 5 एससीआर 916 -

संदर्भित किया गया।

2.3 कानून के ढांचे के नियम के भीतर पर्यावरणीय नुकसान पर विवादों पर निर्णय लेने की आवश्यकता एक सिद्धांत में निहित है

कानून की पुस्तकों पर पर्यावरण कानून, व्यापक न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के एक समूह का अभाव था जो पर्यावरणीय निर्णय को इस तरह से सूचित कर सकता है जो स्थिर, निश्चित और अनुमानित था। हालाँकि, कानून के पर्यावरणीय नियम के ढांचे का उपयोग करते समय भी, हमें जिस कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह यह है-जब निर्णय लेने वाले निकायों को पर्यावरणीय उल्लंघनों पर निर्णय लेने के लिए कहा जाता है, तो जो सटीक नुकसान हुआ है वह अक्सर ठोस परिमाणीकरण के लिए अतिसंवेदनशील नहीं होता है। जबकि यह ढांचा निर्णय लेते समय ध्यान में रखे जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करता है।

पर्यावरणीय विवादों में, यह न्यायिक विचार के लिए आने वाली विविध तथ्यात्मक स्थितियों में होने वाले नुकसान को निर्धारित करने के लिए स्पष्ट मार्ग प्रदान नहीं करता है। इस तरह के नुकसान के निर्धारण के लिए वैज्ञानिक डेटा तक पहुंच की आवश्यकता होती है जो अक्सर मुश्किल होता है।

एक व्यक्तिगत स्थितियों से आने के लिए। [पैरा 50,51] [380-एफ-जी; 381-डी-ई]

क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर उत्तरदाता। दोनों ने कोशिश की है यह तर्क देने के लिए कि वर्तमान निर्माण के मामले में उनके द्वारा काटे गए पेड़ों की संख्या वही होती, अगर उन्होंने केवल एक बस स्टैंड और एक पार्किंग स्थान बनाया होता। हालाँकि, दल योजनाओं [2021] 1 एस. सी. आर. का पालन किए बिना निर्माण में लगे हुए हैं।

अपीलार्थी के तीसरे पक्ष के सलाहकारों द्वारा तैयार किए गए, जिन पर आर. एफ. पी. में उनके द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। निर्माण तब भी जारी रहा जब टी. सी. पी. विभाग ने इसकी योजनाओं को मंजूरी देने से इनकार करते हुए इसे रोकने की कोशिश की। यहां तक कि मोड़ दी गई वन भूमि की प्रकृति को बदलने के लिए एम. ओ. ई. एफ. द्वारा पोस्ट फैक्टो इनकार भी पक्षों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। आखिरकार, जब उन्हें निर्माण रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा

सी. ई. सी. द्वारा, वे इस न्यायालय के एक आदेश की आड़ में इसके साथ आगे बढ़े, जिसने केवल कानूनी निर्माण की अनुमति दी। ए. इन परिस्थितियों का संयोजन न केवल उनके कार्यों के पर्यावरणीय परिणामों से अनजान आचरण पर प्रकाश डालता है,

लेकिन व्यावसायिक लाभ के पक्ष में उनके लिए एक सक्रिय तिरस्कार। जबकि दूसरा प्रतिवादी एक निजी संस्था थी, वे थे अपीलार्थी द्वारा इन प्रयासों में सक्रिय रूप से समर्थन किया गया। इसलिए, उनके कार्यों ने कानून के पर्यावरण शासन का उल्लंघन किया। कानून के पर्यावरणीय नियम का निश्चित रूप से मतलब है कि इस तरह के निर्माण को स्वीकृति नहीं मिल सकती है, चाहे इसके आर्थिक लाभ कुछ भी हों। वैज्ञानिक निश्चितता की कमी पर्यावरण को खतरे में डालने का कोई आधार नहीं है। [पैरा 53] [382-बी-जी]

बेंगलुरु विकास प्राधिकरण बनाम सुधाकर हेगड़े 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 328; लाल बहादुर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2018) 15 एस. सी. सी. 407; मेघालय राज्य और अन्य बनाम ऑल डिमासा छात्र संघ (2019) 8 एस. सी. सी. 177 [2019] 8 एस. सी. आर. 297; आतिथ्य संघ मुदुमलाई बनाम। पर्यावरण और जानवरों की रक्षा में 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 838; गोयल गंगा डेवलपर्स इंडिया प्रा. लिमिटेड बनाम। भारत संघ (2018) 18 एस. सी. सी. 257; एम. मेहता बनाम भारत संघ (2018) 18 एस. सी. सी. 397:

[2018] 11 एस. सी. आर. 384 संदर्भित है।

3. अपीलों के वर्तमान समूह में, वन भूमि का उपयोग एम. ओ. ई. एफ. द्वारा निर्माण के विशिष्ट उद्देश्यों के लिए करने की अनुमति दी गई थी।

मैकलियोड गंज में एक 'पार्किंग स्थान' और 'बस स्टैंड'। एम. ओ. ई. एफ. ने इस अनुमति की शर्तों को संशोधित नहीं करने का एक सचेत निर्णय लिया, भले ही ऐसा करने का अवसर दिया गया हो। इसलिए, दूसरे उत्तरदाता द्वारा किया गया कोई भी निर्माण, भले ही

एच. पी. बस स्टैंड्स अधिनियम के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण होने के नाते अपीलार्थी का मौन अनुमोदन अवैध होगा। [पैरा 62] [386-ई-एफ]

4. टी. सी. पी. अधिनियम के प्रावधानों में अपीलार्थी और दूसरे प्रतिवादी को टी. सी. पी. (एच. पी. बी. एस. एम. और डी. ए.) v. से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता थी।

केंद्रीय सशक्त समिति ई. टी. सी. और ओ. आर. एस.

उनके निर्माण के माध्यम से भूमि की प्रकृति को बदलने से पहले विभाग। इस शर्त का पालन न करने से उनके पर्यावरणीय दायित्वों का उल्लंघन हुआ। किसी भी मामले में, यह प्रश्न अकादमिक है क्योंकि एन. जी. टी. का विवादित निर्णय इसके आधार पर है

अपीलार्थी और दूसरे प्रतिवादी द्वारा वन अधिनियम की धारा 2 के उल्लंघन में निर्णय, जो कि एन. जी. टी. अधिनियम की अनुसूची I के भीतर मौजूद एक अधिनियम है। [पैरा 63] [387-ई-एफ]

एम. पी. बनाम राज्य पर्यावरण संरक्षण केंद्र

को। 5. एन. जी. टी. द्वारा अपने फैसले में जारी किए गए निर्देश हैं -

बस स्टैंड परिसर में रेस्तरां संरचना, यह प्रस्तुत करते हुए कि इसे उनके उपयोग के लिए खड़े होने की अनुमति दी जा सकती है, स्वीकार नहीं की जाती है अन्यथा यह पूरी तरह से अवैध निर्माण को वैध बना देगा। बस स्टैंड परिसर में होटल-सह-रेस्तरां संरचना को ध्वस्त करने की प्रक्रिया निर्णय की तारीख से दो सप्ताह के भीतर शुरू करने का निर्देश दिया गया है और संरचना को दूसरे प्रतिवादी द्वारा एक महीने के भीतर ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद। चूक की स्थिति में, जिला धर्मशाला के प्रशासन के साथ मुख्य वन संरक्षक

संरचना को ध्वस्त करें और लागत और खर्च की वसूली करें दूसरे प्रत्यर्थी से भूमि राजस्व का बकाया। इसके अलावा, एनजीटी के निर्देश के अनुसार, हिमाचल प्रदेश राज्य और दूसरा प्रतिवादी होटल-सह-भवन के विध्वंस के बाद बस स्टैंड परिसर में पार्किंग स्थान और बस स्टैंड का उपयोग कर सकते हैं।

रेस्तरां संरचना। हालाँकि, यह एमओईएफ द्वारा जारी 12 नवंबर 1997 और 1 मार्च 2001 के आदेशों के अनुसार होना चाहिए, यानी इसका उपयोग कारों और बसों की पार्किंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, जैसा भी मामला हो। [पारस 64,65,66] [387-जी-एच; 388-ए-डी]

मामला कानून संदर्भ

[2013] 6 एससीआर 757

पै

रा 38 (i)

[202

1] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 5 एससीआर 916

पै

रा 38 (ii)

संदर्भित किया गया है

(2018) 15 एस. सी. सी. 407

संदर्भित किया गया है

पै

रा 55

[2019] 8 एससीआर 297

संदर्भित किया गया है

पै

रा 55

(2018) 18 एस. सी. सी. 257

पै

रा 60

संदर्भित किया गया है

[2018] 11 एससीआर 384

संदर्भित किया गया है

पै

रा 61

(2020) 9 एस. सी. सी. 781

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 5231

5232 2016 से।

राष्ट्रीय संविधान के 04.05.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 के विविध आवेदन संख्या 1180 और 2015 के 1181 में हरित न्यायाधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली।

के साथ

सिविल अपील सं। 5229-5230 2016 से।

अभिनव मुखर्जी, एएजी, सूर्यप्रकाश वी राजू, एएसजी, पराग पी।

त्रिपाठी, सूर्यनारायण सिंह, अजीत के. आर. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , असीम श्रीधर,

सुश्री मिशिका बाजपेयी, गोपाल झा, सुश्री नियति, श्रेयश भारद्वाज, सुश्री प्रगति नीखरा, गुरमीत सिंह मक्कर, आर बाला, एम. पी. गुप्ता, अनमोल चंदन, आर. के. वर्मा, अन्नम डी. एन. राव, राहुल मिश्रा, श्रीमती बिहू शर्मा, सुश्री प्रतिष्ठा विज, ऋत्विक दत्ता, सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री, सुश्री कनिका सूद, सुश्री संजना ग्रेस थॉमस, सुश्री अनमोल गुप्ता, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

इस निर्णय को विश्लेषण की सुविधा के लिए अनुभागों में विभाजित किया गया है।

वे इस प्रकार हैं:

याचिका

ए. बी.

इस न्यायालय के पिछले आदेश

वन भूमि का इतिहास

एस.

बस स्टैंड परिसर का निर्माण

डी. ई.

प्रथम प्रत्यर्थी के समक्ष कार्यवाही

एनजीटी के समक्ष कार्यवाही

एफ (एच. पी. बी. एस. एम. और डी. ए.) v. केंद्रीय सशक्त समिति ई. टी. सी. और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जी.

जिला और सत्र न्यायाधीश, कांगड़ा की रिपोर्ट

वकीलों की दलीलें

एच.

आई.

विश्लेषण

I. 2 पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने में न्यायालयों की भूमिका

1.3 वन भूमि पर अवैध गतिविधियाँ

I. 4 एन. जी. टी. का अधिकार क्षेत्र

निष्कर्ष

जे.

A. अपील

1. वर्तमान मामले में दीवानी अपील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 ("एनजीटी अधिनियम") की धारा 22 के तहत आती है। शुद्धता।

2. एनजीटी ने दूसरे प्रतिवादी द्वारा दायर एक मूल आवेदन पर विचार किया, जो साथी सिविल अपील संख्या में अपीलार्थी भी है। 5229-5230 केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ("सी. ई. सी".) की 18 सितंबर 2008 की एक रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए, 2016 का पहला प्रतिवादी। अपनी रिपोर्ट में, सीईसी ने निष्कर्ष निकाला कि हिमाचल प्रदेश के मैकलियोड गंज में दूसरे प्रतिवादी और अपीलार्थी द्वारा निर्मित बस स्टैंड परिसर का एक हिस्सा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 ("वन अधिनियम") के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। सी. ई. सी. ने अवैध हिस्सों को ध्वस्त करने की सिफारिश की।

3. एन. जी. टी. ने सी. ई. सी. के निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए कहा कि बस स्टैंड परिसर उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को गंभीर रूप से बाधित करता है जिसमें यह स्थित है।

का निर्माण किया गया है। एनजीटी ने अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश दिया कि -

बस स्टैंड में होटल-सह-रेस्तरां की संरचना

((i)

परिसर को दूसरे प्रतिवादी द्वारा ध्वस्त किया जाए;

((ख)

दूसरा प्रतिवादी रुपये का मुआवजा देगा। 15

एनजीटी अधिनियम की धारा 15 और 17 के संदर्भ में लाख;

(iii)

अपीलार्थी को एक लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। 10 लाख, जबकि

हिमाचल प्रदेश राज्य और उसका पर्यटन विभाग एक करोड़ रुपये का मुआवजा देगा। 5 प्रत्येक लाख; और [2021] 1 एस. सी. आर.

(iv) हिमाचल प्रदेश राज्य का मुख्य सचिव अवैध परियोजना की जिम्मेदारी को तेज करने के लिए अपीलार्थी के गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच करेगा।

B. इस न्यायालय के पिछले आदेश

4. 16 मई 2016 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने वर्तमान अपीलों को स्वीकार किया और कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार किया, जैसा कि प्रदान किया गया है।

एनजीटी अधिनियम की धारा 22 में:

" 1. क्या न्यायाधिकरण इस बात की सराहना करने में विफल रहा है कि भूमि

अपील का विषय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत गैर-वन उपयोग के लिए पहले ही डायवर्ट किया जा चुका है?

2. क्या न्यायाधिकरण हिमाचल प्रदेश बस स्टैंड प्रबंधन की धारा 14 के प्रभाव पर ठीक से विचार करने में विफल रहा और

विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 जो बस में या उसके पास होटल और रेस्तरां स्थापित करने और उनका रखरखाव करने का अधिकार देता है।

3. क्या न्यायाधिकरण ने हिमाचल प्रदेश शहर और देश के कथित उल्लंघन को अभिनिर्धारित करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार किया है योजना अधिनियम, 1977 तब भी बनाया गया है जब उक्त अधिनियम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम से जुड़े अधिनियमों की अनुसूची I में अनुपस्थित है।"

इस अदालत ने एन. जी. टी. के फैसले के संचालन भाग के खिलाफ भी रोक लगा दी जिसमें निर्देश दिया गया था: (i) बस स्टैंड परिसर में होटल-सह-रेस्तरां संरचना को ध्वस्त करना; और (ii) अपीलार्थी के अधिकारियों के खिलाफ जांच की जानी चाहिए।

5. उपरोक्त आदेश को 9 सितंबर 2016 को उठाकर संशोधित किया गया था।

अपीलार्थी के विरुद्ध की जाने वाली जाँच पर रोक

अधिकारी। हालांकि, इस अदालत ने निर्देश दिया कि जांच जिला और सत्र न्यायाधीश, कांगड़ा द्वारा की जाएगी, जिनके अधिकार क्षेत्र में बस स्टैंड परिसर स्थित है। जिला और सत्र न्यायाधीश को इस न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। वर्तमान अपीलों के पक्षों को जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा की जा रही जांच के साथ खुद को जोड़ने की अनुमति दी गई थी।

ग. वन भूमि का इतिहास (एच. पी. बी. एस. एम. और डी. ए.) v.

केंद्रीय सशक्त समिति ई. टी. सी. और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

6. वर्तमान मामले की उत्पत्ति केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के 12 नवंबर 1997 के एक आदेश में हुई है।

चौथा प्रतिवादी, "एमओईएफ"), हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा वन अधिनियम की धारा 2 के अनुसार, मैकलियोड गंज में पार्किंग स्थान के निर्माण के लिए वन भूमि के 0.093 हेक्टेयर को मोड़ने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर। आदेश नीचे निकाला गया है:

" राज्य के प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सरकार, सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा अनुमोदन देता है

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत, मैकलियोड गंज, वन प्रभाग धर्मशाला, जिला कांगड़ा में पार्किंग स्थल के निर्माण के लिए वन भूमि के 0.093 हेक्टेयर को मोड़ने के लिए,

एचपी, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:
1. वन भूमि की कानूनी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। जब भी इसकी आवश्यकता नहीं होगी, वन विभाग को वन भूमि बहाल कर दी जाएगी।

2. मैकलियोड गंज शहर के आसपास प्रस्तावित रूप से देवदार और सजावटी प्रजातियों के कम से कम 250 पौधे लगाकर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा, जिसकी लागत Rs.11500/- है जिसे उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा TC नंबर 3 dt के माध्यम से जमा किए जाने की सूचना है। 02.09.97 .

3. वन भूमि का उपयोग केवल प्रस्ताव में उल्लिखित उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

4. उपयोगकर्ता एजेंसी वनीकरण के हित में राज्य वन विभाग द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करेगी।

और वनों का संरक्षण। 5. यह
मंजूरी अन्य प्रासंगिक अधिनियमों/नियमों/न्यायालय के निर्णय/निर्देशों आदि के तहत प्रस्ताव की मंजूरी के अधीन है।

इस प्रस्ताव पर लागू होता है।

राज्य सरकार इन शर्तों को पूरा करना सुनिश्चित करेगी।

7. एम. ओ. ई. एफ. ने 1 मार्च 2001 को एक और आदेश जारी किया, जिसमें मैकलियोड गंज में एक बस स्टैंड के निर्माण के लिए 0.48 हेक्टेयर वन भूमि को मोड़ दिया गया। आदेश की सामग्री इस प्रकार है:

सरकार, सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा अनुमोदन देता है
(2021) 1 एस. सी. आर. के निर्माण के लिए 48 हेक्टेयर वन भूमि को मोड़ने के लिए।

धर्मशाला, वन प्रभाग धर्मशाला और जिला कांगड़ा, एच. पी. में उपर्युक्त परियोजना, निम्नलिखित शर्तों के अधीन।

1. वन भूमि की कानूनी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।

2. न्यूनतम संख्या। अनुपलब्ध वृक्षों को काटा जा सकता है जो

4. प्रस्ताव में प्रस्तावित वन रक्षक झोपड़ी का निर्माण भी 500 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। 2. 25 लाख जिसके होने की सूचना है। उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा जमा किया गया।

5. उपयोगकर्ता एजेंसी वनीकरण के हित में राज्य वन विभाग द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करेगी।

7. यह अनुमोदन इस प्रस्ताव पर लागू अन्य प्रासंगिक अधिनियमों/नियमों/न्यायालय के निर्णय/निर्देशों आदि के तहत प्रस्ताव की मंजूरी के अधीन है। 8. मंत्रालय मंजूरी के निलंबन को रद्द कर सकता है यदि

उपर्युक्त शर्तों में से किसी का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं है। राज्य सरकार राज्य वन विभाग के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि इन शर्तों को पूरा करना।

8. उपरोक्त भूमि में से, 0.093 हेक्टेयर का एक क्षेत्र मुख्य धर्मशाला-मैकलियोड गंज सड़क के ऊपर है, जबकि एक क्षेत्र व्यापक है।

0.48 हेक्टेयर मुख्य सड़क के नीचे है। भूमि के ये दोनों टुकड़े एक-दूसरे के सामने हैं और बानोई आरक्षित वन का एक हिस्सा हैं। पार्किंग स्थल और बस स्टैंड के निर्माण के लिए जिम्मेदार उपयोगकर्ता एजेंसियां एस. डी. ओ. धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश पर्यटन थीं।

विभाग। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत रु। 10 लाख और रु। 90-95 लाख। 9. अप्रैल 2000 में, अधिनियम के बाद हिमाचल प्रदेश राज्य में बस अड्डों के निर्माण के लिए अपीलार्थी का गठन किया गया था

हिमाचल प्रदेश बस स्टैंड प्रबंधन और विकास

प्राधिकरण अधिनियम, 1999 ("एचपी बस्ट स्टैंड्स एक्ट")। जनवरी/फरवरी में (एच. पी. बी. एस. एम. और डी. ए.) v.

केंद्रीय सशक्त समिति ई. टी. सी. और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

2006 , दिनांक 12 नवंबर 1997 और 1 मार्च 2001 के उपरोक्त आदेशों के तहत गैर-वन उपयोग के लिए मोड़ दी गई भूमि को अपीलार्थी को 99 साल के पट्टे पर हस्तांतरित कर दिया गया था।

D. बस स्टैंड परिसर का निर्माण

10. अपीलार्थी को हस्तांतरित की गई भूमि का उपयोग मैकलियोड गंज में पार्किंग सुविधा के निर्माण के लिए किया जाना था। प्रकृति को देखते हुए

एक 'आधुनिक परिसर' के निर्माण के लिए होने वाली लागत, अपीलार्थी के निदेशक मंडल ने 7 पर आयोजित अपनी बैठक में

नवंबर 2003 में एक बस स्टैंड-सह-पार्किंग परिसर बनाने का निर्णय लिया गया।

1. निर्माण-संचालन-हस्तांतरण आधार पर। इसे आगे बढ़ाते हुए, अपीलार्थी ने 19 नवंबर 2003 को प्रस्ताव आमंत्रित किए। अपीलार्थी को केवल एक प्राप्त हुआ

प्रस्ताव, जिसे वित्तीय रूप से अव्यवहारिक माना जाता था क्योंकि इसमें 75 साल की रियायत अवधि की परिकल्पना की गई थी।

11. अपीलार्थी ने बस स्टैंड परिसर की प्रकृति को बदलने का निर्णय लिया ताकि इसे निजी संस्थाओं के लिए वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके। 13 जुलाई 2004 को निर्माण के लिए एक नया प्रस्ताव जारी करना।

संशोधित बस स्टैंड परिसर। निचले स्तर पर बस स्टैंड के निर्माण के अलावा, अपीलार्थी ने निम्नलिखित के परिसर में आगे के निर्माण की परिकल्पना की:

((i)

सड़क पर दुकानों के साथ एक बहु-स्तरीय वाणिज्यिक परिसर

स्तर;

पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर एक शयनकक्ष और एक बजट होटल

((ख)

स्तर;

(iii)

शीर्ष स्तर पर एक भोजन सुविधा/रेस्तरां/फूड प्लाजा; और सड़क स्तर पर पचास कारों के लिए पार्किंग का प्रावधान।

((iv)

बहु-स्तरीय वाणिज्यिक परिसर का क्षेत्रफल 2779 वर्ग मीटर; सड़क स्तर पर पार्किंग का 1100 वर्ग मीटर; और निचले स्तर पर बस स्टैंड का 2580 वर्ग मीटर (जिसमें दुकानों/कियोस्क के लिए 359 वर्ग मीटर क्षेत्र शामिल था) होना था। 1 1 बी. ओ. टी. परियोजना में, सार्वजनिक क्षेत्र का अनुदानकर्ता एक निजी कंपनी को एक निश्चित अवधि ("रियायत अवधि") के लिए एक सुविधा या प्रणाली को विकसित करने और संचालित करने का अधिकार देता है, जो अन्यथा एक सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजना होगी। (देखें, 'रियायतें, निर्माण-संचालन हस्तांतरण (बी. ओ. टी.) और डिजाइन-निर्माण-संचालन (डी. बी. ओ.) परियोजनाएं' जो यहाँ उपलब्ध हैं। // पीपीपी। विश्व बैंक। org/सार्वजनिक-निजी-साझेदारी/समझौते/रियायतें-बॉट-डी. बी. ओ. एस.>

23 दिसंबर 2020 को पहुँचा गया)।

21] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. 13 अक्टूबर 2004 को, अपीलार्थी के बोर्ड ने मंजूरी दी

बस स्टैंड परिसर के निर्माण के लिए दूसरे प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सबसे कम बोली। दूसरे उत्तरदाता को पुरस्कृत किया गया

18 नवंबर 2004 को 'पुरस्कार की सूचना' के माध्यम से निर्माण अधिकार। अपीलार्थी और दूसरे प्रत्यर्थी ने 23 दिसंबर 2004 को एक 'रियायत समझौता' किया जिसके तहत रियायत की अवधि 15 दिसंबर 2005 से शुरू हुई और यह 16 साल, 7 महीने और 15 दिनों के लिए होनी थी।

13. दूसरे प्रतिवादी ने अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना दिसंबर 2005 में बस स्टैंड परिसर का निर्माण शुरू कर दिया।

नगर और देश योजना विभाग ("टी. सी. पी. विभाग"), योजनाओं और चित्रों को मंजूरी देता है।

14. 4 मार्च 2006 को टी. सी. पी. विभाग को बस स्टैंड परिसर के चित्रों की मंजूरी के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ। इसने इशारा किया 10 मार्च 2006 को प्रस्तावित रेखाचित्रों में कमियों को दूर करें। 28 जुलाई 2006 से 19 फरवरी 2007 के बीच आगे के पत्रों के माध्यम से, इसने अपीलार्थी को आगे की जानकारी प्रदान करने और प्रस्तावित निर्माण में कमियों को सुधारने का निर्देश दिया। इस प्रक्रिया के बीच, दूसरे प्रतिवादी ने बस स्टैंड परिसर का निर्माण जारी रखा।

15. अंत में, 5 अक्टूबर 2006,8 मार्च 2007 और 5 जून 2008 के नोटिसों के माध्यम से, टीसीपी विभाग ने अपीलार्थी से इसे रोकने का आह्वान किया।

बस स्टैंड परिसर का निर्माण। दूसरे उत्तरदाता ने फिर भी निर्माण जारी रखा।

16. 8 मई 2007 को, हिमाचल प्रदेश राज्य ने एम. ओ. ई. एफ. को एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुरोध किया गया था कि:

((i)

पूरी भूमि का उपयोग (0.573 हेक्टेयर मापने के लिए) जो दिनांक 12 नवंबर 1997 के आदेशों के तहत गैर-वन उपयोग के लिए मोड़ने की अनुमति दी गई थी और 1 मार्च 2001 को बस स्टैंड परिसर के निर्माण में बदल दिया गया था; और

((ख)

उपयोगकर्ता एजेंसी को अपीलार्थी में बदल दिया जाए।

17. 12 जून 2007 के अपने आदेश के माध्यम से, एम. ओ. ई. एफ. ने हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आदेश निम्नलिखित शब्दों में था:

" कृपया अपने पत्र सं. एफ. एफ. ई.-बी.-एफ. (2)-87/97 दिनांक 8 मई, 2007 को उपरोक्त विषय पर

वन भूमि और बस स्टैंड परिसर (एच. पी. बी. एस. एम. और डी. ए.) के 0.093 हेक्टेयर पर पार्किंग के निर्माण से भूमि उपयोग को बदलने के लिए भारत सरकार v.

केंद्रीय सशक्त समिति ई. टी. सी. और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर-वानिकी के लिए वन भूमि के पूरे 0.573 हेक्टेयर पर होटल का प्रस्ताव और एसडीओ (नागरिक) और एचपी पर्यटन से उपयोगकर्ता एजेंसी के नाम में परिवर्तन एच . पी. बस स्टैंड प्रबंधन और विकास विभाग

प्राधिकरण।

राज्य सरकार के अनुरोध की जांच की गई है और सक्षम प्राधिकारी इस पर विचार करने में असमर्थता व्यक्त करता है और इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया जाता है।

18. जैसा कि नीचे अधिक विस्तार से बताया गया है, जब इसके समक्ष कार्यवाही शुरू की गई थी, तो सीईसी ने निर्माण में रोक लगाने का निर्देश दिया। दूसरा।

प्रतिवादी ने एक अंतरिम आवेदन दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 7 सितंबर 2007 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि दूसरा प्रतिवादी बस स्टैंड के निर्माण के साथ आगे बढ़ सकता है, इस प्रकार टिप्पणी करते हुए:

" इस आवेदन में आवेदक बस स्टैंड के निर्माण के लिए निर्देश मांग रहा है। आरोप है कि सी. ई. सी. ने आवेदक को बस स्टैंड के पास कुछ पार्किंग क्षेत्र बनाने से रोक दिया है। हमें बताया गया है कि सी. ई. सी. स्थल का निरीक्षण करने का प्रस्ताव कर रहा है और एक रिपोर्ट देगा। हमारा मानना है कि आवेदक को कोई भी निर्देश देने से पहले, सी. ई. सी. आवेदक को सुन सकता है और एक रिपोर्ट दाखिल कर सकता है और इस बीच निर्माण से संबंधित काम भी।

बस स्टैंड का निर्माण जारी रह सकता है लेकिन कोई अन्य निर्माण नहीं किया जाएगा।

बाहर निकलो "।

बस स्टैंड परिसर का निर्माण तब पूरा हो गया था

7 जुलाई 2008 को दूसरे प्रतिवादी द्वारा।

ई. प्रथम प्रत्यर्थी के समक्ष कार्यवाही

19. दूसरे प्रतिवादी द्वारा निर्माण के दौरान, छठे और सातवें उत्तरदाताओं ने 20 अप्रैल 2007 को एक आवेदन दायर करके सीईसी से संपर्क किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि बस स्टैंड परिसर का निर्माण वन अधिनियम का उल्लंघन था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, सीईसी ने निर्देश दिया कि बस स्टैंड परिसर का निर्माण रोक दिया जाए।

20. दूसरे प्रतिवादी ने एक अंतरिम आवेदन दायर किया, जिसमें इस न्यायालय ने 7 सितंबर 2007 को एक आदेश पारित किया, जो

ऊपर निकाला गया। दूसरे प्रतिवादी को सी. ई. सी. के समक्ष कार्यवाही में शामिल किया गया।

21] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. सीईसी के सदस्यों ने 27 सितंबर 2007 को बस स्टैंड परिसर का दौरा किया। सी. ई. सी. ने इससे पहले कई तारीखों पर पक्षों को सुना था। उसके समक्ष हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव की 18 अगस्त 2008 की एक रिपोर्ट भी थी।

22. सी. ई. सी. ने 18 सितंबर 2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की

यह न्यायालय। मुख्य निष्कर्ष यह थे कि:

होटल-सह-रेस्तरां संरचना का निर्माण

(1)

12 नवंबर 1997 और 1 मार्च को एम. ओ. ई. एफ. के आदेशों द्वारा बस स्टैंड परिसर के भीतर जाने की अनुमति नहीं थी। 2001. इसलिए, निर्माण वन का उल्लंघन है।

अधिनियम;

हिमाचल राज्य द्वारा माँगी गई कार्योत्तर अनुमति

((ख)

मोड़ के उपयोग को बदलने के लिए एम. ओ. ई. एफ. से प्रदेश

12 जून 2007 को वन भूमि को अस्वीकार कर दिया गया था।

(iii)

अपीलार्थी द्वारा 13 जुलाई 2004 को जारी आर. एफ. पी. ने संकेत दिया

कि एक बहु-स्तरीय वाणिज्यिक परिसर 2779 वर्ग मीटर के क्षेत्र का होना था, जबकि सड़क का संयुक्त क्षेत्र निचले स्तर पर पार्किंग और बस स्टैंड 3680 वर्ग मीटर का होना था। हालांकि, दूसरे उत्तरदाता द्वारा निर्मित बहु-स्तरीय वाणिज्यिक परिसर का वास्तविक क्षेत्र 3324.89 M2 है, जो 545.89 M2 से अधिक है। इसी तरह,

सड़क स्तर की पार्किंग और निर्मित बस स्टैंड का वास्तविक क्षेत्र 9945.65 M2 है, जो 6265.65 M2 से अधिक है। इस अतिरिक्त निर्माण को मौन रूप से मंजूरी दी गई थी अपीलार्थी का बोर्ड;

(iv) जबकि अपीलार्थी द्वारा जारी आर. एफ. पी. ने संकेत दिया कि बस स्टैंड के लिए केवल दो निचले स्तरों का निर्माण किया जाएगा, दूसरे प्रतिवादी ने चार अतिरिक्त स्तरों का निर्माण किया था।

बोर्ड द्वारा भी इसे मौन रूप से मंजूरी दी गई थी।

अपीलार्थी;

उपरोक्त कारक अधिकारियों के बीच मिलीभगत स्थापित करते हैं।

(v)

अपीलार्थी और दूसरे प्रत्यर्थी का, ताकि

दूसरे उत्तरदाता को लाभ;

(vi) दूसरे प्रतिवादी द्वारा बस स्टैंड परिसर का निर्माण टीसीपी विभाग की पूर्व मंजूरी के बिना किया गया है। विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस

निर्माण को रोकने की उपेक्षा की गई; एस. एम. और डी. ए.) v.

केंद्रीय सशक्त समिति ई. टी. सी. और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(vii) निचले स्तरों पर बस स्टैंड के निर्माण की प्रकृति के कारण, अतिरिक्त वन क्षेत्र की आवश्यकता होगी क्योंकि बसों के आने के लिए कोई क्षेत्र नहीं था; और

(viii) होटल के निवासियों के लिए कोई कार पार्किंग उपलब्ध नहीं है।

वाणिज्यिक परिसर, जिसे या तो सड़कों पर पार्किंग करनी होगी या परिसर में सड़क स्तर की पार्किंग का उपयोग करना होगा। इससे यातायात जाम हो जाएगा और भीड़ नहीं बढ़ेगी।

क्षेत्र में नेट पार्किंग उपलब्ध है।

23. अपने निष्कर्षों के आधार पर, सी. ई. सी. ने निम्नलिखित जारी किया

संशोधन:

" 22. उपरोक्त स्पष्ट रूप से इस बात पर प्रकाश डालता है कि वहाँ निरपेक्ष रहा है

पार्किंग स्थल के निर्माण के मामले में अराजकता और

बस स्टैंड। साथ ही मैकलियोड गंज में वन भूमि के दो टुकड़ों पर पार्किंग स्थल और बस स्टैंड परिसर दोनों की बहुत वास्तविक आवश्यकता है। गहरे निहित स्वार्थों द्वारा पैदा की गई इस भयानक गड़बड़ी से बाहर निकलने का रास्ता खोजने और साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि गंभीर चूक में शामिल लोगों को मुक्त रूप से जाने की अनुमति नहीं दी जाए, निम्नलिखित की सिफारिश की जाती है:

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत परियोजना को मंजूरी दिए जाने पर मूल रूप से कल्पना की गई थी कि इसका निर्माण किया जा सकता है। नगर और देश योजना विभाग की उस मंजूरी से पहले कानून के तहत आवश्यकतानुसार लिया जा सकता है। इससे भवन माफिया और उनके समर्थकों को स्पष्ट संकेत मिलेगा कि अवैध और अनधिकृत निर्माण के इस तरह के निर्लज्ज कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ख) बस स्टैंड के निर्माण में गंभीर कमियां पाई गईं।

परिसर को शहर की मंजूरी के साथ होना चाहिए और देश योजना विभाग। इस उद्देश्य के लिए यह प्रस्तावित है

कि राज्य सरकार प्रधान मुख्य संरक्षक के अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव के साथ एक समिति का गठन कर सकती है

सदस्यों के रूप में एम. ओ. ई. एफ. का प्रतिनिधि। निदेशक, नगर और देश योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, हो सकता है

सदस्य सचिव। समिति तुरंत पूरे मामले में जा सकती है और दो महीने [2021] के भीतर समयबद्ध तरीके से 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस माननीय न्यायालय को प्रस्ताव दें कि बस स्टैंड परिसर कितना अच्छा है

वर्तमान गंदगी से बचाया जा सकता है ताकि राज्य सरकार कर सकती है:

i) बस स्टैंड का सर्वोत्तम और सबसे कुशल उपयोग सुनिश्चित करें ताकि वहां से अधिकतम संख्या में बसें चल सकें। वाणिज्यिक, दुकानों, सार्वजनिक शौचालयों, भोजनालयों की व्यवस्था करते हुए,

बस स्टैंड पर टेलीफोन बूथ और इसी तरह के केवल

यात्रा की वास्तविक आवश्यकताओं पर विचार किया जाना चाहिए।

सार्वजनिक; और

(ii) वाहनों के लिए अधिकतम पार्किंग की जगह सुनिश्चित करना।

ग) वन भूमि के दो टुकड़ों पर जुड़वां परियोजना के अनधिकृत और अवैध निर्माण से जुड़े राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य लोगों की ओर से सामूहिक विफलता और गंभीर खामियां हुई हैं और यह शासन के मामले में दयनीय स्थिति को दर्शाता है। इस पृष्ठभूमि में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को दोष लेना होगा और वन और वन्यजीवों के संरक्षण और संरक्षण के लिए एक विशेष कोष में एक करोड़ रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया जा सकता है।

घ) राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया जा सकता है कि शासन के मामले में अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही का पूरी तरह से त्याग करने के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों और अधिकारियों के खिलाफ समयबद्ध तरीके से कठोर और निवारक कार्रवाई की जाए और जो दोनों पर अनधिकृत और अवैध निर्माण संरचनाओं को स्पष्ट रूप से आने देने के लिए जिम्मेदार हैं।

वन का घोर उल्लंघन करते हुए वन भूमि के टुकड़े

(संरक्षण) अधिनियम, 1980, हिमाचल प्रदेश नगर और देश योजना अधिनियम, 1977 और अन्य प्रासंगिक स्थानीय कानून; और

ङ) मेसर्स प्रशांति सूर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी की सेवाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और मेसर्स प्रशांति सूर्या को काली सूची में डाल दिया जाना चाहिए और कब्र के लिए उपयुक्त दंड भी दिया जाना चाहिए।

उसे बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर की गई अवैधताएँ और अनियमितताएँ

निजी हित "।

24. इसके बाद दूसरे प्रतिवादी ने सी. ई. सी. द्वारा जारी रिपोर्ट को दरकिनार करने के लिए अदालत के समक्ष एक और आवेदन दायर किया।

दूसरा (एच. पी. बी. एस. एम. और डी. ए.) v. केंद्रीय सशक्त समिति ई. टी. सी. और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई प्रदान नहीं की गई थी, और उन्हें विस्तृत जवाब दाखिल करने का अधिकार था। 25. 5 अक्टूबर 2015 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने कार्यवाही को एन. जी. टी. को स्थानांतरित कर दिया।

एफ. एनजीटी के समक्ष कार्यवाही

26. अपने विवादित फैसले में, एनजीटी ने कहा कि निम्नलिखित तथ्य निर्विवाद थे:

" A. राज्य में किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई अनुमति, मंजूरी या अनुमोदन नहीं दिया गया था। 1980 के अधिनियम के तहत सरकार और/या केंद्र सरकार और यहां तक कि होटल और खरीदारी के लिए अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत भी।

जटिल।

B. शुरुआती चरणों से ही, होटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कभी भी उस परियोजना का हिस्सा नहीं थे जिसके लिए सरकार विभागों और/या परियोजना प्रस्तावक ने सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदन/मंजूरी के अनुदान के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किए। एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. ने 12 जून, 2007 के अपने पत्र के माध्यम से वन भूमि को किसी अन्य गैर-वन गतिविधि के लिए परिवर्तित करने की अनुमति देने से विशेष रूप से इनकार कर दिया था। एक बार जब होटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए ऐसी अनुमति को अस्वीकार कर दिया गया, तो परियोजना के प्रस्तावक को लिया नहीं जा सकता था और कोई गतिविधि शुरू नहीं की जा सकती थी।

ग. परियोजना प्रस्तावक ने न केवल संबंधित से उचित अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त किए बिना निर्माण शुरू किया राज्य और केंद्र सरकार, लेकिन उन्होंने भी मिलीभगत से काम किया था

कुछ अधिकारियों के साथ जिन्होंने सहमति दी [करने के लिए] अस्थायी रूप से निर्माण शुरू करना जो पूरी तरह से था

अनावश्यक और वास्तव में अवैध था। "

27. एनजीटी ने आगे कहा कि 12 नवंबर 1997 को एमओईएफ द्वारा दी गई मंजूरी केवल 'पार्किंग' के निर्माण के लिए थी मैकलियोड गंज में जगह। इसके अलावा, 1 मार्च 2001 को केवल मैकलियोड गंज में एक 'बस स्टैंड' के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई थी। हिमाचल प्रदेश राज्य के पास होटल-सह-रेस्तरां संरचना के निर्माण को अधिकृत करने का कोई अधिकार नहीं था और इसलिए, निर्माण पूरी तरह से अवैध था। इसने सी. ई. सी. के निष्कर्षों का समर्थन किया और कहा:

21] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 3. सी. ई. सी. की उपरोक्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि कानून का गंभीर उल्लंघन हुआ है। यह जंगल में बनने वाली एक परियोजना है।

वन मंजूरी के बिना क्षेत्र, और यहां तक कि स्थापित करने और/या संचालित करने की सहमति भी संबंधित बोर्ड द्वारा नहीं दी गई है। इसके अलावा, इस परियोजना का पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। सीईसी की सिफारिशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूरे परिसर को गिरा दिया जाना चाहिए और केवल एक पार्किंग स्थल का निर्माण किया जाना चाहिए जैसा कि मूल रूप से कल्पना की गई थी, जिसके लिए 1980 के अधिनियम के तहत वन मंजूरी दी गई है। सी. ई. सी. यह सुझाव देकर संबंधित अधिकारियों को भी दोषी ठहराता है कि राज्य सरकार और उससे जुड़े अधिकारियों की ओर से सामूहिक विफलता और गंभीर खामियां हुई हैं। परियोजना के अनधिकृत और अवैध निर्माण के साथ, जिसका निर्माण भूमि के दो टुकड़ों पर किया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार को रुपये जमा करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। 1 एक विशेष कोष में करोड़ रुपये और परियोजना प्रस्तावक को काली सूची में डाला जाना चाहिए और गंभीर अवैधताओं के लिए उपयुक्त रूप से दंडित किया जाना चाहिए और

उसके द्वारा की गई अनियमितताएँ "।

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र की पारिस्थितिकी "। इसने अभिनिर्धारित किया कि जिस प्रकार 14 सितंबर 2006 की एम. ओ. ई. एफ. की अधिसूचना के तहत पर्यावरण मंजूरी की मांग करना परियोजना के प्रारंभ के लिए एक पूर्व शर्त है, जिसका अवमूल्यन नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार अधिनियम की धारा 2 के तहत वन मंजूरी की मांग करना। निर्माण शुरू होने से पहले वर्तमान मामले में वन अधिनियम एक आवश्यक पूर्व शर्त थी। इसने एहतियाती सिद्धांत, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत और सतत विकास के सिद्धांत पर इस न्यायालय के न्यायशास्त्र पर ध्यान आकर्षित किया।

जी. जिला और सत्र न्यायाधीश, कांगड़ा की रिपोर्ट

29. 16 मई 2016 के इस न्यायालय के आदेश को आगे बढ़ाते हुए, जिला और सत्र न्यायाधीश ने 9 अक्टूबर को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की।

30. जिला और सत्र न्यायाधीश ने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि बस स्टैंड परिसर: 2 विवादित निर्णय का पैरा 27।

(एच. पी. बी. एस. एम. और डी. ए.) v. केंद्रीय सशक्त समिति ई. टी. सी. और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

वन भूमि पर निर्माण किया गया है, जिसका उल्लंघन किया गया है

((i)

वन अधिनियम के प्रावधान;

आवश्यक अनुमतियों के बिना निर्माण किया गया है

((ख)

टीसीपी विभाग से प्राप्त;

तीसरे पक्ष द्वारा तैयार की गई योजनाओं के अनुरूप नहीं है

(iii)

अपीलार्थी द्वारा नियुक्त सलाहकार, जो आर. एफ. पी. के दौरान प्रस्तुत किए गए थे;

(iv) ठीक से रखरखाव नहीं किया गया है, और मुद्दों से ग्रस्त है

रिसाव का; और

वास्तुकला संबंधी दोषों से पीड़ित है जिसके कारण यह है

(v)

बसों के लिए बस स्टैंड में बदलना बेहद मुश्किल है

मुख्य सड़क।

31. जिला और सत्र न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि दूसरा प्रतिवादी निम्नलिखित विभागों के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इस अवैध निर्माण में शामिल नहीं हो सकता था: ((i)

अपीलार्थी; (ii) हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग; (iii) टी. सी. पी. विभाग; (iv) वन विभाग; (v) नगरपालिका समिति और नगर निगम; (vi) राजस्व विभाग; और (vii) विद्युत विभाग। रिपोर्ट में निम्नलिखित शब्दों में कहा गया है:

" 28. मुझे यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि सभी विभागों के अधिकारियों/अधिकारियों ने मेसर्स प्रशांति सूर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ हाथ मिलाया था, ताकि मेसर्स प्रशांति सूर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी को अनुचित लाभ दिया जा सके। वित्तीय लाभ। इसके लिए ये अधिकारी/अधिकारी उत्तरदायी हैं। यह राज्य सरकार के

अधिकारियों/अधिकारियों की ओर से गंभीर चूक और विफलता का मामला है, जो गैर-अधिकृत और अवैध कार्यों को रोकने के लिए त्वरित और तत्काल कार्रवाई करने के लिए कर्तव्यबद्ध थे।

विवादग्रस्त संरचना का निर्माण। इसलिए, यह मेरा विनम्र निवेदन है कि संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकरण/राज्य सरकार के अधिकारियों को चूक करने वाले अधिकारियों/अधिकारियों के खिलाफ निवारक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि सी. ई. ओ. और निदेशक मंडल ने स्वत: ही इसे बदलने का अधिकार ग्रहण कर लिया है।

वैचारिक योजना और अवैध निर्माण कार्य की अनुमति दी

कानून के वैधानिक प्रावधानों को हवा में फेंककर मौके पर संरचना। इसके अलावा, मौके पर बस स्टैंड की संरचना ठीक से नहीं बनाई गई है। जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है, स्तंभों के कारण, [2021] 1 एस. सी. आर.

बसों को घुमाने के लिए पर्याप्त जगह की कमी थी और साथ ही बसों के लिए कोई अलग प्रवेश और निकास बिंदु नहीं था। संरचना को ठीक से बनाए नहीं रखा गया है और मौके पर रिसाव पाया गया है। निष्क्रिय बस पार्किंग के लिए कोई अलग जगह नहीं है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि बस स्टैंड प्राधिकरण का बस स्टैंड संरचना के रखरखाव पर कोई नियंत्रण नहीं है और वह इस संबंध में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरी प्रस्तुतियों को देखते हुए, यह एक मामला है

मेसर्स प्रशांति सूर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी का खुला पक्षपात।

सभी संबंधित अधिकारी कानूनी के बारे में अच्छी तरह से जानते थे

आवश्यकताएँ, लेकिन उन्होंने अवैध रूप से जारी रखना पसंद किया

कानूनी आवश्यकताओं का पालन किए बिना निर्माण। यह नहीं हो सकता।

माना जा सकता है कि मौके पर निर्माण कार्य जारी रहा

2005 के मध्य से 2009 की शुरुआत तक बिना किसी सहमति के [sic] उपरोक्त सरकारी एजेंसियां और ये अधिकारी/अधिकारी।

एच. वकीलों की प्रस्तुतियाँ

32. एन. जी. टी. के विवादित फैसले को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी निम्नलिखित दलीलों का समर्थन करता है:

((i)

अपीलार्थी को वैध रूप से भूमि प्रदान की गई थी

बस स्टैंड परिसर का निर्माण, जब वन भूमि को 12 नवंबर 1997 और 1 मार्च 2001 के आदेशों के माध्यम से "गैर-वन उद्देश्यों" के लिए मोड़ दिया गया था।

एमओईएफ;

((ख)

अपीलार्थी में होटल-सह-रेस्तरां संरचना शामिल थी। बस स्टैंड परिसर में इसे और अधिक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, जिसके लिए उसने दूसरे प्रतिवादी को भूमि में कोई हित सौंपे बिना अधिकार सौंपे;

(111) जबकि यह शुरू से ही सार्वजनिक जानकारी में था, छठे और सातवें उत्तरदाताओं ने कोई आपत्ति नहीं जताई।

लेकिन ऐसा देर से किया गया जब बस स्टैंड परिसर का निर्माण पहले से ही चल रहा था।

((iv) हिमाचल प्रदेश शहर के उल्लंघनों के संबंध में

और देश योजना अधिनियम, 1977 ("टीसीपी अधिनियम"):

एक बार परियोजना दूसरे को सौंप दी गई

(अ)

उत्तरदाता, यह उनकी जिम्मेदारी थी कि वे उचित हों

अनुमतियाँ; डी. ए.) v.

केंद्रीय सशक्त समिति ई. टी. सी. ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

टीसीपी अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में तर्क थे इससे पहले छठे और सातवें उत्तरदाताओं द्वारा नहीं उठाया गया

सीईसी या एनजीटी; एनजीटी, किसी भी मामले में, के उल्लंघन पर विचार नहीं कर सकता है

)

टीसीपी अधिनियम; और

0

उपायुक्त कांगड़ा ने सिफारिश की थी,

13 अप्रैल 2007 को टी. सी. पी. विभाग के निदेशक को संबोधित एक पत्र द्वारा मानकों के संबंध में छूट के लिए क्योंकि यह एक हिल स्टेशन पर अपनी तरह का पहला पार्किंग परिसर था जो नियमित रूप से समस्या से ग्रस्त है।

यातायात जाम।

एच. पी. बस स्टैंड्स अधिनियम की धारा 14 (3) (ई) अपीलार्थी को बस स्टैंडों पर या उनके पास होटल और रेस्तरां स्थापित करने और उनका रखरखाव करने का अधिकार देती है। कोई गोपनीयता या गलत काम नहीं था दूसरे उत्तरदाता को परियोजना प्रदान करने में, इसने सबसे कम बोली लगाई। इस परियोजना का निर्माण बी. ओ. टी. आधार पर किया जाना था और रियायत अवधि के अंत में इसे हिमाचल प्रदेश राज्य को वापस सौंप दिया जाएगा।

चूंकि 12 नवंबर 1997 और 1 मार्च 2001 के आदेशों द्वारा भूमि को "गैर-वन उद्देश्य" के लिए मोड़ने की अनुमति पहले ही प्राप्त कर ली गई थी, इसलिए होटल के निर्माण के लिए एम. ओ. ई. एफ. से आगे किसी सहमति की आवश्यकता नहीं थी।

वन अधिनियम की धारा 2 के साथ संलग्न स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि "गैर-वन उद्देश्य" का अर्थ है वन भूमि या उसके हिस्से को पुनः वनीकरण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए तोड़ना या साफ करना। इसके परिणामस्वरूप, होटल-सह की आनुषंगिक और सहायक सुविधाएं

बस स्टैंड परिसर में रेस्तरां संरचना थी पहले से दी गई मंजूरी द्वारा स्वीकृत।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

33. अपीलार्थी के प्रस्तुत करने का समर्थन करते हुए, दूसरा

एनडेंट प्रस्तुत करता है कि:

((i)

बस स्टैंड तक सीमित, लेकिन इसमें प्रबंधन भी शामिल था होटल-सह-रेस्तरां जिसने इसे व्यावसायिक रूप से बनाया

व्यवहार्य। रियायत समझौते के तहत, दूसरा

प्रतिवादी को बस स्टैंड, पार्किंग और होटल सह-रेस्तरां का निर्माण करना था, जिसे वह वर्ष 2022 तक बनाए रखेगा, जिसके बाद इसे हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। दूसरे उत्तरदाता के अनुसार,

यह एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था;

सीईसी ने गलत तरीके से दायर आवेदन का फैसला किया

((ख)

छठे और सातवें उत्तरदाता बिना ठीक से

दूसरे उत्तरदाता के कारणों को समझना संरचना में अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण, जो मिट्टी की ताकत और स्थिति के कारण था। एनजीटी ने अपने विवादित फैसले में भी यही गलती की थी।

(iii)

आरोप कि अपीलार्थी ने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया

निराधार हैं। अपीलार्थी एक नोडल स्वतंत्र वैधानिक है।

आधुनिक वाणिज्यिक बस स्टैंड अवसंरचना के रखरखाव के लिए प्राधिकरण। अपीलार्थी को एच. पी. बस स्टैंड अधिनियम की धारा 14 (3) (ई) के तहत बस स्टैंड पर या उसके पास होटल और रेस्तरां स्थापित करने और उनका रखरखाव करने का अधिकार है। प्रासंगिक समय पर, अपीलार्थी के पास अपने दम पर बस स्टैंड बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे और इसलिए उसने एक नीति अपनाई

निजी मांग करके उनके निर्माण के लिए निर्णय

बी. ओ. टी. आधार पर भागीदारी;

((iv) 'वन भूमि का एक इंच भी' अन्य पर अतिक्रमण नहीं किया गया था।

जिसे एम. ओ. ई. एफ. द्वारा अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, भूमि के निचले हिस्से में वन विभाग द्वारा कम से कम पेड़ काटे गए और भूमि के ऊपरी हिस्से में कोई पेड़ नहीं थे। पेड़ों की कटाई और हटाने का काम सख्ती से अनुमति के अनुसार किया गया था।

जिला और सत्र न्यायाधीश ने सार्वजनिक प्रकृति की अनदेखी की

(v)

परियोजना की और यह कि भूमि रियायत अवधि के बाद हिमाचल प्रदेश राज्य को वापस कर दी जाएगी। यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि दूसरे प्रतिवादी ने डी. ए.) v का निर्माण किया।

केंद्रीय सशक्त समिति ई. टी. सी. ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

गलत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से परियोजना या अनुचित लाभ। दूसरे उत्तरदाता ने रुपये से अधिक का निवेश किया है। 19 विचाराधीन सार्वजनिक परियोजना में करोड़ रुपये, जिसका एक बड़ा हिस्सा बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। परियोजना की वित्तीय योजना के तहत, राजस्व का 70 प्रतिशत दूसरे प्रतिवादी द्वारा वसूल किया जाना था।

होटल-सह-रेस्तरां से और संचालन से 30 प्रतिशत

बस स्टैंड से। इसलिए, चूंकि होटल-सह-रेस्तरां का संचालन नहीं किया गया है, इसलिए दूसरा प्रतिवादी, परियोजना में निवेश करने के बाद, आनुपातिक रिटर्न प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुआ है और बिना किसी गलती के वित्तीय संकट का सामना करने के लिए मजबूर हुआ है। दूसरा प्रतिवादी अब जिले के बाद पार्किंग स्थान और बस स्टैंड का प्रबंधन या संचालन नहीं कर रहा है।

मजिस्ट्रेट, कांगड़ा ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत 7 जून 2019 के एक आदेश द्वारा, पार्किंग स्थल का नियंत्रण लेने और सार्वजनिक हित में इसे मुफ्त में चलाने के लिए एक कार्यकारी समिति का गठन और उसे अधिकृत किया। इसके अलावा, जिला मजिस्ट्रेट ने 31 जुलाई 2019 के एक आदेश के माध्यम से, परिवहन प्रणाली के कुशल संगठन के हित में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 117 के तहत मैकलियोड गंज बस स्टैंड पर उपलब्ध स्थान को सार्वजनिक पार्किंग स्थल के रूप में अधिसूचित किया।

वन अधिनियम की धारा 2 के तहत बस स्टैंड परिसर के होटल-सह-रेस्तरां संरचना को, यह देखते हुए कि होटल-सह-रेस्तरां संरचना का निर्माण एक वैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा के अनुसार किया गया था; एनजीटी ने इस तथ्य की अनदेखी की कि सीईसी की रिपोर्ट दिनांकित थी

18 सितंबर 2008 को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना तैयार किया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव द्वारा दायर 18 अगस्त 2008 के दूसरे हलफनामे के आधार पर तैयार किया गया था, जो दूसरे प्रतिवादी को नहीं दिया गया था।

(ix)

एनजीटी को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि अपीलार्थी ने

रियायत समझौते में दूसरे प्रतिवादी को एक अभ्यावेदन दिया कि सभी आवश्यक अनुमतियाँ
बस स्टैंड के निष्पादन के लिए इसके द्वारा प्राप्त किया गया है

कॉम्प्लेक्स।

34. हिमाचल प्रदेश राज्य ने निम्नलिखित किया है:

प्रस्तुतियाँ:

((i)

बस स्टैंड परिसर में सभी आवश्यक अनुमतियाँ थीं, और

बिना प्रदान किए कानूनी रूप से निर्माण किया गया था

दूसरे उत्तरदाता को अनुचित लाभ;

जिला और सत्र न्यायाधीश की 9 तारीख की रिपोर्ट

((ख)

अक्टूबर 2018 त्रुटिपूर्ण है क्योंकि:

(क) अपीलार्थी ने एम. ओ. ई. एफ. से अनुमति नहीं मांगी, क्योंकि ऐसी अनुमति पहले से ही उपलब्ध थी;

परियोजना के अनुसार बनाया गया था

(ख)

अनुमोदित योजनाएं, और क्षेत्र की स्थलाकृति को ध्यान में रखते हुए; और

परियोजना के रखरखाव पर सवाल नहीं उठाया जा सका

((ग)

क्योंकि मुकदमेबाजी शुरू होने के बाद 2009 में इसके रखरखाव को छोड़ना पड़ा।

जिला की रिपोर्ट में निष्कर्षों के संबंध में और

(iii)

सत्र न्यायाधीश दिनांक 9 अक्टूबर 2018, होटल-सह-रेस्तरां संरचना के निर्माण के लिए अलग से कोई सहमति नहीं मांगने का कारण यह था कि अपीलकर्ता इस धारणा में था कि वन भूमि को "गैर-वन उद्देश्य" के लिए मोड़ने के लिए सहमति, एम. ओ. ई. एफ. द्वारा 12 नवंबर 1997 और 1 मार्च 2001 के अपने आदेशों द्वारा दी गई थी।

पर्याप्त है।

35. हिमाचल प्रदेश राज्य का तर्क है कि यह एक मामला है

अवैधता के विपरीत प्रक्रियात्मक खामियों को शामिल करना। विशिष्ट स्थलाकृति और वहां मौजूद अन्य स्थितियों को देखते हुए राज्य में ऐसी परियोजनाओं की स्थापना एक विशाल कार्य है। यदि इस परियोजना को जारी रखने/पूरा करने की अनुमति दी जाती है, तो यह न केवल शहर के लोगों को एक मॉडयूलर बस स्टैंड की सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि एक वाणिज्यिक परिसर का प्रावधान स्थानीय आबादी को रोजगार के अवसर प्रदान करने के अलावा यात्रियों को किफायती सेवाओं को भी प्रदान करेगा। हालाँकि, यदि संरचना का आदेश दिया गया है (एच. पी. बी. एस. एम. और डी. ए.) v.

केंद्रीय सशक्त समिति ई. टी. सी. और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

इस स्तर पर ध्वस्त होने से पर्यावरण को नुकसान होने की संभावना है क्योंकि विध्वंस से निकलने वाले विशाल मलबे का निपटान करना मुश्किल होगा क्योंकि यह क्षेत्र भीड़भाड़ से भरा हुआ है और व्यापक रूप से ढका हुआ है।

वनस्पति। आय के रूप में प्राप्त आय का कुछ हिस्सा

वाणिज्यिक परिसर का उपयोग बस स्टैंड परिसर के निर्माण के कारण क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिकी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जा सकता है।

36. हिमाचल प्रदेश राज्य ने बाद में इसके समक्ष समर्पण किया।

3 नवंबर 2020 को अदालत ने कहा कि उसने शुरू करने के लिए कदम उठाए थे

वन अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अभियोजन। इसने एक हलफनामे के माध्यम से अपने द्वारा उठाए गए कदमों को रिकॉर्ड में रखा।

37. इन प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए और एन. जी. टी. के विवादित फैसले के समर्थन में बहस करते हुए, सी. ई. सी. निम्नलिखित प्रस्तुत करता है:

((i)

वन भूमि को "गैर-वन" के लिए मोड़ने की अनुमति दी गई थी

केवल बस स्टैंड के निर्माण के लिए और

पार्किंग की जगह। हालाँकि, अपीलार्थी ने पूर्व अनुमति के बिना एक होटल-सह-रेस्तरां को शामिल करने के लिए दायरे का विस्तार किया;

((ख)

दूसरे प्रतिवादी ने बस स्टैंड का निर्माण शुरू किया

टी. सी. पी. विभाग द्वारा चित्र और योजनाओं की मंजूरी के बिना परिसर, जिसने बाद में मुद्दों की ओर इशारा किया

योजनाएँ; और

12 जून 2007 को एम. ओ. ई. एफ. ने राज्य के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

(iii)

बस स्टैंड और पार्किंग के अलावा वन भूमि के उपयोग के विस्तार के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार

स्पेस।

38. सी. ई. सी. की प्रस्तुतियों का समर्थन करते हुए, छठे और सातवें उत्तरदाता प्रस्तुत करते हैं:

((i)

के निर्माण के लिए वन भूमि का डी-आरक्षण

बस स्टैंड परिसर में होटल-सह-भोजनालय संरचना का उल्लंघन किया गया था: (i) वन अधिनियम की धारा 2 (i) और (ii) पर्यावरण कानून केंद्र, डब्ल्यू. डब्ल्यू. एफ.-I में इस न्यायालय द्वारा 13 नवंबर 2000 को जारी आदेश।

बनाम भारत संघ 3, जिसमें कहा गया था कि आगे भूमि नहीं होगी

"

इस न्यायालय के आगे के आदेशों के लंबित रहने तक आरक्षित किया जाए;

((ख)

इस प्रकार, अपीलार्थी और दूसरे की कार्रवाई जानबूझकर के प्रावधानों का उल्लंघन करने में प्रतिवादी

वन अधिनियम हनुमान लक्ष्मण में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित "कानून के पर्यावरण शासन" का उल्लंघन है।

अरोस्कर बनाम भारत संघ 1; और

(iii)

पूरा बस स्टैंड परिसर बिना निर्माण के बनाया गया था।

टी. सी. पी. अधिनियम के तहत आवश्यक अनुमतियाँ।

39. एम. ओ. ई. एफ. ने जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है और अपने निष्कर्षों पर कायम है।

40. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ अब हमारे विचार के लिए आती हैं।

I. विश्लेषण

41. बस स्टैंड परिसर में होटल-सह-रेस्तरां संरचना का निर्माण अवैध है और इसका सरासर उल्लंघन है।

कानून। 12 नवंबर 1997 को एम. ओ. ई. एफ. द्वारा दी गई अनुमति केवल मैकलियोड गंज में एक 'पार्किंग स्थल' के निर्माण के लिए थी। इसी तरह, 1 मार्च 2001 को उसी क्षेत्र में 'बस स्टैंड' के निर्माण के लिए अनुमति दी गई थी। किसी भी समय होटल या वाणिज्यिक संरचना के निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी। इस संबंध में एन. जी. टी. का निष्कर्ष स्वीकृति की सराहना करता है। अपीलार्थी, पर एक निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए निर्माण में संलग्न होने की अनुमति दिए जाने पर, उस अनुमति का गैरकानूनी रूप से एक अलग संरचना के निर्माण के आधार के रूप में उपयोग किया गया जो अधिकृत नहीं था। इसने वन अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए ऐसा किया है।

" 2. वनों के आरक्षण पर प्रतिबंध या गैर-वन उद्देश्य के लिए वन भूमि का उपयोग। किसी राज्य में तत्काल लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण पूर्ववर्ती प्रावधानों को छोड़कर ऐसा नहीं करेगा। केंद्र सरकार की मंजूरी, निर्देश देने वाला कोई भी आदेश

((i) कि कोई भी आरक्षित वन (उस राज्य में उस समय लागू किसी कानून में "आरक्षित वन" अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर) या उसका कोई भी हिस्सा आरक्षित नहीं रहेगा;

((ii) कि किसी वन भूमि या उसके किसी भाग का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है।

कोई गैर-वन उद्देश्य;

4 (2019) 15 एस. सी. सी. 401 (एच. पी. बी. एस. एम. और डी. ए.) v.

केंद्रीय सशक्त समिति ई. टी. सी. और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

((ग) कि कोई वन भूमि या उसका कोई भाग पट्टे के रूप में या अन्यथा किसी निजी व्यक्ति या किसी प्राधिकरण को सौंपा जा सकता है, निगम, एजेंसी या कोई अन्य संगठन जिसका स्वामित्व, प्रबंधन नहीं है।

या सरकार द्वारा नियंत्रित;

((iv) कि किसी भी वन भूमि या उसके किसी भी हिस्से को उन पेड़ों से हटाया जा सकता है जो उस भूमि या हिस्से में प्राकृतिक रूप से उगाए गए हैं।

पुनर्वनीकरण के लिए इसका उपयोग करने का उद्देश्य।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए "गैर-वन"

(क) चाय, कॉफी, मसाले, रबड़, ताड़, तेल की खेती। पौधे, बागवानी फसलें या औषधीय पौधे;

(ख) पुनः वनीकरण के अलावा कोई अन्य उद्देश्य,

लेकिन इसमें वनों और वन्य जीवन के संरक्षण, विकास और प्रबंधन से संबंधित या सहायक कोई कार्य शामिल नहीं है, अर्थात्: चेक-पोस्ट, फायर लाइन, वायरलेस की स्थापना

बाड़, पुल और पुलिया, बांध, वाटरहोल, खाई के निशान, सीमा के निशान, पाइपलाइन या इसी तरह के अन्य उद्देश्यों के लिए संचार और निर्माण।

धारा 2 के प्रावधान सख्त और समयनिष्ठ होने का आदेश देते हैं।

अनुपालन। केवल पर्याप्त अनुपालन ही पर्याप्त नहीं है। होटल-सह-रेस्तरां संरचना का निर्माण पूरी तरह से अवैध है, जो इस अनिवार्य वैधानिक शर्त का स्पष्ट उल्लंघन है। कि

43. सी. ई. सी. की रिपोर्ट अपीलार्थी के कार्यों का एक गंभीर अभियोग है। सी. ई. सी. रिपोर्ट इंगित करती है कि: (i) बस स्टैंड परिसर में होटल-सह-रेस्तरां संरचना का निर्माण अवैध था; भूमि एक आरक्षित वन थी; (iii) होटल-सह-रेस्तरां संरचना के निर्माण के लिए भूमि को मोड़ने की कोई वैध अनुमति नहीं थी; (iv) केवल पार्किंग सुविधा और बस स्टैंड के लिए वन अधिनियम की सहमति ली गई थी; (v) टी. सी. पी. से कोई वैध मंजूरी नहीं थी।

पूरे बस स्टैंड परिसर की योजनाओं का विभाग; और (vi) अंत में निर्मित बस स्टैंड परिसर के अनुरूप नहीं है

आर. एफ. पी. में अपीलार्थी की अपनी प्रस्तावित योजनाएं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

44. एन. जी. टी. के फैसले में जो निष्कर्ष सामने आए हैं, वे जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट द्वारा समर्थित हैं। रिपोर्ट में होटल के तरीके का एक आश्चर्यजनक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। सह-रेस्तरां संरचना का निर्माण वैधानिक आवश्यकताओं के उल्लंघन में किया गया था और यह कैसे संभव हुआ

कई राज्य अभिनेता। रिपोर्ट के प्रासंगिक निष्कर्ष नीचे उद्धृत किए गए हैं:

" 4. ई. पी. सी. ने पूर्व की परिकल्पना तैयार की है। सी. एल. आई. 4 ए, लेकिन बस स्टैंड प्राधिकरण ने उपरोक्त अवधारणा का उल्लंघन किया

भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने वन भूमि का उपयोग गैर-वन उद्देश्य के लिए करने और उपयोगकर्ता एजेंसी का नाम एसडीओ (सी) और एचपी पर्यटन विभाग से बस स्टैंड प्राधिकरण में बदलने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। सी103।
7. मैसर्स प्रशांति सूर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी को अनुचित लाभ देने के एकमात्र उद्देश्य से विवादित ढांचे के अवैध निर्माण को उठाया गया था और इसके लिए बस स्टैंड प्राधिकरण मुख्य रूप से जिम्मेदार है और इसके अलावा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी जिम्मेदार हैं।

12. इस मामले में बस स्टैंड प्राधिकरण ने नगर और देश योजना विभाग के निदेशक को लिखित रूप में सूचित नहीं किया।
विचाराधीन निर्माण कार्य जैसा कि उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों में ऊपर चर्चा की गई है। उक्त जानकारी बस स्टैंड प्राधिकरण के सी. ई. ओ. द्वारा वर्ष 2005 में दी जानी चाहिए थी जब मौके पर निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसलिए, वर्ष 2005 में बस स्टैंड प्राधिकरण के सी. ई. ओ., एच. पी. टाउन की धारा 28 के वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करने के लिए जिम्मेदार हैं।

और देश योजना अधिनियम "।

45. एनजीटी ने इस प्रकृति के मामले में अपने अधिदेश के भीतर काम किया, जहां अपीलार्थी ने उल्लंघन में एक संरचना के अपराध की सक्रिय रूप से अनुमति दी (एचपीबीएसएम एंड डीए) v.

पर्यावरणीय मानदंड। जिस क्षेत्र को एन. जी. टी. सही मायने में "प्रकृति की गोद" के रूप में वर्णित करता है, वहां होटल-सह-रेस्तरां संरचना के निर्माण पर सवाल न उठाना हमें न्यायिक रूप से न्याय के रास्ते पर ले जाएगा। पर्यावरणीय विनाश को मंजूरी दी गई।

I. 1 कानून का पर्यावरणीय नियम

46. एक संवैधानिक ढांचे में जिसका उद्देश्य उदार मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध लोकतंत्र का निर्माण, पोषण और रक्षा करना है, कानून का शासन आधार प्रदान करता है। कानून के शासन को कानून द्वारा शासन से अलग किया जाना है। पूर्व एक कानूनी व्यवस्था की स्थापना को समझता है स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों और सम अनुप्रयोग के सिद्धांतों के साथ, कानून का एक शासन जो स्वतंत्रता, समानता और उचित प्रक्रिया के मौलिक अभिधारणाओं को बनाए रखता है। कानून का शासन एक ऐसे कानून को अभिनिर्धारित करता है जो जवाबदेह है

संवैधानिक मानदंड। इस मायने में कानून उतना ही जवाबदेह है जितना वह सटीक अनुपालन करने में सक्षम है। दूसरी ओर कानून द्वारा शासन

संस्थानों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका और परिभाषित मानदंडों और प्रक्रियाओं को छोड़ने के गंभीर परिणामों को पहचानें जिनके द्वारा वे हैं गठित, रचित और शासित। इसलिए कानून के ढांचे का एक आधुनिक नियम अपने व्यापक और दायरे में व्यापक है। यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता शासन की एक न्यायपूर्ण प्रणाली का केंद्र बिंदु है और जिसके बिना प्रशासनिक विवेक और पूर्ण शक्ति द्वारा मानव गरिमा को नष्ट किया जा सकता है। कानून का शासन तब एक संग्रह से परे रहता है जो कानून के नियमों को पवित्र करता है। इसके तत्वों में मूल सिद्धांत, प्रक्रियात्मक गारंटी और संस्थागत सुरक्षा उपाय शामिल हैं जो उत्तरदायी, जवाबदेह और संवेदनशील सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।

शासन।

47. कानून का पर्यावरणीय शासन, एक निश्चित स्तर पर, कानून के शासन की अवधारणा का एक पहलू है। लेकिन इसमें विशिष्ट विशेषताएं शामिल हैं जो हैं पर्यावरण शासन के लिए अद्वितीय, ऐसी विशेषताएं जो सुई जेनरिस हैं। कानून का पर्यावरणीय नियम आवश्यक उपकरणों का निर्माण करना चाहता है-वैचारिक,

चर्चा में संरचना लाने के लिए प्रक्रियात्मक और संस्थागत पर्यावरण संरक्षण। यह [2021] 1 एस. सी. आर. की हमारी समझ को बढ़ाने के लिए ऐसा करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पर्यावरणीय चुनौती-अतीत में प्रकृति के साथ मानवता के संपर्क से उन्हें कैसे आकार दिया गया है, वर्तमान में प्रकृति के साथ इसके जुड़ाव से वे कैसे प्रभावित होते हैं और भविष्य की संभावनाएं, अगर हम विनाश के मार्ग को मौलिक रूप से नहीं बदलते हैं।

मानव जाति के कार्यों ने आकार ले लिया है। कानून का पर्यावरण नियम कार्बन पदचिह्नों की प्रकृति और परिणामों के बहु-अनुशासनात्मक विश्लेषण को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करता है और ऐसा करने में यह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विज्ञान, नियामक निर्णयों और नीतिगत दृष्टिकोणों के बीच एक साझा समझ लाता है। यह मानता है कि कानून के पर्यावरणीय शासन में 'कानून' तत्व अवधारणा को विशेष रूप से वकीलों और न्यायाधीशों के संरक्षण के लिए नहीं बनाता है। इसके विपरीत, यह पर्यावरण क्षरण, जलवायु परिवर्तन और आवासों के विनाश से उत्पन्न वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने में सभी हितधारकों को शामिल करना चाहता है। कानून का पर्यावरणीय नियम इन अवधारणाओं की एक एकीकृत समझ चाहता है। सतत विकास जैसी अवधारणाओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध हैं, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत

और विश्वास सिद्धांत। प्रकृति का ब्रह्मांड अविभाज्य और एकीकृत है। पृथ्वी के एक भाग में पर्यावरण की स्थिति प्रभावित करती है और है

मूल रूप से दूसरे भाग में जो होता है उससे प्रभावित होता है। पर्यावरण का प्रत्येक तत्व दूसरों के साथ एक सहजीवी संबंध साझा करता है। यही वह अविभाज्य बंधन और जुड़ाव है जिसे कानून का पर्यावरणीय नियम मानवता के अस्तित्व को खतरे में डालने वाली समस्याओं का समाधान खोजने के लिए तलाशना और समझना चाहता है। कानून का पर्यावरणीय नियम स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाने वाले हमारे कार्यों के परिणामों को समझने की आवश्यकता पर आधारित है। में वृद्धि

महासागर न केवल समुद्री समुदायों के लिए खतरा हैं। तापमान में वृद्धि, ग्लेशियरों के कमजोर होने और बढ़ते मरुस्थलीकरण के परिणाम उन समुदायों और जीवों से परे हैं जिनके

उत्तरजीविता का मुद्दा एक एकीकृत चुनौती है जो हर जगह मानव समाज का सामना करती है। यह उन सिद्धांतों को तैयार करने के लिए अतीत की अनुभवात्मक शिक्षाओं पर निर्माण करना चाहता है जो दुनिया के निर्माण स्तंभ बनने चाहिए। वर्तमान और भविष्य में पर्यावरण विनियमन। कानून का पर्यावरण नियम वैज्ञानिक शिक्षा, कानूनी सिद्धांत और नीतिगत हस्तक्षेप के बीच अंतर को पहचानता है और इसे एकीकृत करने का प्रयास करता है। महत्वपूर्ण रूप से, यह पर्यावरण पर नियामक शासन प्रदान करने वाले संस्थानों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों, प्रक्रियाओं और मानदंडों की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

ऐसा करने में, यह (एच. पी. बी. एस. एम. और डी. ए.) v. केंद्रीय सशक्त समिति ई. टी. सी. और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

पर्यावरण नीतियों और सार्वजनिक परियोजनाओं द्वारा। कानून के पर्यावरणीय शासन की संरचनात्मक रूपरेखा मूल, प्रक्रियात्मक और संस्थागत तत्वों से बनी है। विश्लेषण के साधन कानूनी अवधारणाओं से परे हैं। ढांचे का परिणाम इसके भागों के कुल योग से कहीं अधिक है। यह जिन तत्वों को मूर्त रूप देता है, वे प्रकृति के वरदानों को अस्तित्व के खतरों से बचाने की आकांक्षा रखते हैं। क्योंकि यह इस सार्वभौमिक मान्यता पर आधारित है कि मानव अस्तित्व का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज पर्यावरण का संरक्षण, सुरक्षा और पुनर्जनन कैसे करते हैं।

48. हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम संघ में अपने निर्णय में

भारत (ऊपर), इस न्यायालय ने हम में से एक (डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.) के माध्यम से बोलते हुए भारत के पर्यावरण शासन की रक्षा के महत्व को पहचाना।

कानून। अदालत ने कहा:

" 142. इस मामले के परिणाम के लिए मौलिक एक खोज है

156. कानून के शासन के लिए एक ऐसे शासन की आवश्यकता होती है जिसमें प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थान हों। उत्तरदायी, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधि निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। कानून के शासन के लिए
सामग्री। सूचना तक सार्वजनिक पहुंच, समान रूप से, कानून के शासन के संरक्षण के लिए मौलिक है। घरेलू संदर्भ में, पर्यावरण शासन जो कानून के शासन पर आधारित है, हमारे संविधान के मूल्यों से उभरता है। पर्यावरण का स्वास्थ्य जीवन के अधिकार [2021] 1 एस. सी. आर. के संरक्षण की कुंजी है।

अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त मूल्य के रूप में

संविधान। पर्यावरणीय निर्णय लेने के लिए उचित संरचनाएं अनुच्छेद 14 के तहत मनमानी कार्रवाई और निष्पक्ष व्यवहार के सकारात्मक कर्तव्य के खिलाफ गारंटी में अभिव्यक्ति पाती हैं। संविधान।"

49. जनवरी 2019 में कानून के पर्यावरणीय शासन पर अपनी पहली वैश्विक रिपोर्ट में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ("यू. एन. ई. पी".) ने

स्पष्ट रूप से कहा गया है:

पर्यावरण संरक्षण का आनंद लोगों और ग्रह द्वारा लिया जाता है। कानून का पर्यावरण नियम किताबों पर और व्यवहार में पर्यावरण कानूनों के बीच की खाई को दूर करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है और सतत विकास लक्षयों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण कानून का सफल कार्यान्वयन इस पर निर्भर करता है कि

पर्यावरणीय विवादों को जल्दी और कुशलता से हल करने की क्षमता

और पर्यावरणीय उल्लंघनों को दंडित करें। पर्यावरण प्रदान करना

उन उपकरणों के साथ न्यायनिर्णायक और प्रवर्तक जो उन्हें अनुमति देते हैं

पर्यावरणीय मामलों का लचीले ढंग से, पारदर्शी तरीके से जवाब दें, और

सार्थक रूप से पर्यावरण शासन का एक महत्वपूर्ण निर्माण खंड है

कानून "।

50. कानून के ढांचे के नियम के भीतर पर्यावरणीय नुकसान पर विवादों का न्यायनिर्णयन करने की आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए एक सैद्धांतिक प्रतिबद्धता में निहित है।

पर्यावरण संरक्षण को इस तरह से विनियमित करने वाले कानूनी ढांचे के प्रति निष्ठा जो मामले-दर-मामले निर्णय से परे है। विश्लेषण के इस तरीके को स्वीकृति मिलने से पहले, हमें एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसमें कानून की पुस्तकों पर पर्यावरण कानून के अस्तित्व के बावजूद, व्यापक न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों का अभाव था जो पर्यावरण निर्णय को इस तरह से सूचित कर सकते थे जो स्थिर, निश्चित और अनुमानित था। एशिया-पैसिफिक जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल लॉ (2014) में एक लेख में, ब्रूस पार्डी ने इस पहेली का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया है: 5 यू. एन. ई. पी., 'एनवायरनमेंटल रूल ऑफ लॉ फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट' (जनवरी 2019), पृष्ठ VIII और 223।

6 ब्रूस पार्डी, 'टुवर्ड्स एन एनवायरनमेंटल रूल ऑफ लॉ', 17 एशिया पैसिफिक जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल लॉ 163 (2014)।

(एच. पी. बी. एस. एम. और डी. ए.) v. केंद्रीय सशक्त समिति ई. टी. सी. और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" पर्यावरण संबंधी नियम और मानक आम तौर पर विशिष्ट पहचान करते हैं।

मानक। इसलिए उनका विकास अत्यधिक राजनीतिक और संभावित रूप से मनमाना हो सकता है। नागरिकों के पर्यावरण कल्याण की रक्षा करने के बजाय, एक अनिश्चित पर्यावरण कानून एक उपयोगितावादी गणना की सुविधा प्रदान करता है जो अलग-अलग हितों को अलग रखने की अनुमति देता है।

प्रतिस्पर्धी विचारों की तुलना में कम मूल्यवान माना जाता है।

51. हालाँकि, कानून के पर्यावरणीय नियम के ढांचे का उपयोग करते समय भी, हमें जिस कठिनाई का सामना करना पड़ता है वह यह है-जब निर्णय लेने वाले निकाय होते हैं

पर्यावरणीय उल्लंघनों पर निर्णय लेने के लिए कहा जाता है, जो सटीक नुकसान हुआ है वह अक्सर ठोस परिमाणीकरण के लिए अतिसंवेदनशील नहीं होता है। जबकि ढांचा पर्यावरणीय विवादों पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखे जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करता है, यह न्यायिक विचार के लिए आने वाली विविध तथ्यात्मक स्थितियों में होने वाले नुकसान को निर्धारित करने के लिए स्पष्ट मार्ग प्रदान नहीं करता है। इस तरह के नुकसान के निर्धारण के लिए वैज्ञानिक डेटा तक पहुंच की आवश्यकता होती है जो अक्सर व्यक्तिगत स्थितियों में आना मुश्किल होता है।

52. जॉर्जटाउन एनवायरनमेंटल लॉ रिव्यू (2020) में एक लेख में, अर्नोल्ड क्रेइलहुबर और एंजेला करियुकी बताते हैं कि किस तरह से कानून का पर्यावरण शासन इस उलझन को हल करना चाहता है:

" कानून के पर्यावरणीय शासन और कानून के अन्य क्षेत्रों के बीच मुख्य अंतरों में से एक अनिश्चितता और डेटा अंतराल के बावजूद मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता है। निष्क्रियता में लकवाग्रस्त होने के बजाय, ज्ञान और अनिश्चितताओं की स्थिति का सावधानीपूर्वक प्रलेखन विनियमित समुदाय, हितधारकों और अन्य संस्थानों को अधिक पूरी तरह से समझने की अनुमति देता है कि कुछ निर्णय क्यों लिए गए थे।

इसलिए, मुद्दा केवल यह है-कानून का पर्यावरणीय नियम।

न्यायाधीशों के रूप में, हम से उभरते ज्ञान को मार्शल करने का आह्वान करता है

1 अर्नोल्ड क्रेइलहुबर और एंजेला करियुकी, 'सतत विकास के संदर्भ में कानून का पर्यावरण नियम', 32 जॉर्जटाउन पर्यावरण कानून समीक्षा 591 (2020)।

पर्यावरण कानून के उल्लंघन के लिए कठोर और निर्णायक तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए रिकॉर्ड, हालांकि कभी-कभी सीमित हो सकता है। जिस तरह से पर्यावरण कानून का उल्लंघन हुआ है या इसके पूर्ण निहितार्थ के बारे में पूर्ण विवरण तक पहुंच नहीं होने से हम निष्क्रियता से चकित नहीं हो सकते हैं। इसके बजाय, हम जिस अपूर्ण दुनिया में रहते हैं, उसे स्वीकार करते हुए यह ढांचा पर्यावरण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है, जिसमें परिणामों के स्पष्ट साक्षय का अभाव है।

बावजूद इसके।

53. हमारे सामने मामले में, हमारे लिए होटल-सह-निर्माण के सटीक प्रभाव को मात्रात्मक शब्दों में निर्धारित करना संभव नहीं है।

क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर अपीलार्थी और दूसरे प्रतिवादी द्वारा भोजनालय संरचना। उन दोनों ने यह तर्क देने की कोशिश की है कि वर्तमान निर्माण के मामले में उनके द्वारा काटे गए पेड़ों की संख्या उतनी ही होती, अगर उन्होंने केवल एक बस स्टैंड और एक पार्किंग स्थान बनाया होता। हालाँकि, हम जिस निर्धारण को दर्ज कर सकते हैं वह यह है कि अपीलार्थी और दूसरे प्रतिवादी ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के बारे में क्या किया है। विशेष रूप से, पक्षकार अपीलार्थी के तीसरे पक्ष के सलाहकारों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का पालन किए बिना निर्माण में लगे हुए हैं, जिन पर आर. एफ. पी. में उनके द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। निर्माण तब भी जारी रहा जब टी. सी. पी. विभाग ने इसकी योजनाओं को मंजूरी देने से इनकार करते हुए इसे रोकने की कोशिश की।

यहां तक कि मोड़ दी गई वन भूमि की प्रकृति को बदलने के लिए एम. ओ. ई. एफ. द्वारा पोस्ट फैक्टो इनकार भी पक्षों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। अंततः, जब उन्हें सी. ई. सी. द्वारा निर्माण रोकने के लिए मजबूर किया गया, तो वे इस न्यायालय के एक आदेश की आड़ में आगे बढ़े, जिसमें केवल कानूनी निर्माण की अनुमति दी गई थी। इन परिस्थितियों का एक संयोजन न केवल उनके कार्यों के पर्यावरणीय परिणामों से अनजान आचरण को उजागर करता है, बल्कि वाणिज्यिक लाभों के पक्ष में उनके लिए एक सक्रिय तिरस्कार को भी उजागर करता है। जबकि दूसरा प्रतिवादी एक निजी संस्था थी, अपीलार्थी द्वारा इन प्रयासों में उनका सक्रिय रूप से समर्थन किया गया था। इसलिए, यह दर्दनाक रूप से स्पष्ट है कि उनके कार्य कानून के पर्यावरणीय शासन का उल्लंघन करते हैं। कानून के पर्यावरणीय नियम का जो भी अर्थ हो, इसका निश्चित रूप से मतलब है कि इस तरह के निर्माण को हमारा समर्थन नहीं मिल सकता है, चाहे इसके आर्थिक लाभ कुछ भी हों। वैज्ञानिक निश्चितता की कमी पर्यावरण को खतरे में डालने का कोई आधार नहीं है।

I. 2 पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने में न्यायालयों की भूमिका

54. बेंगलुरु विकास प्राधिकरण बनाम सुधाकर हेगड़े के मामले में इस अदालत के हाल के एक फैसले में, इस अदालत ने हम में से एक (डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.) के माध्यम से कहाः 8 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 328 (एच. पी. बी. एस. एम. और डी. ए.) v.

केंद्रीय सशक्त समिति ई. टी. सी. और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" 107. विरोधी प्रणाली, अपने स्वभाव से, अधिकारों पर आधारित है। न्याय की खोज में, एक विजयी पक्ष और एक हारे हुए पक्ष को अभिनिर्धारित करना असामान्य नहीं है। हालाँकि, पर्यावरण और विकास के मामलों में, दोनों के बीच कोई समझौता नहीं है। पर्यावरण की सुरक्षा विकास का एक अंतर्निहित घटक है और वृद्धि होती है।

108. प्रोफेसर कॉर्कर इस विचार की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि

इस तरह के कार्यों को अमान्य करें। 109. पर्यावरण की सुरक्षा न केवल अदालतों की सक्रिय भूमिका पर आधारित है, बल्कि मजबूत संस्थागत ढांचे पर भी आधारित है, जिसके भीतर प्रत्येक हितधारक यह सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य का पालन करता है

सतत विकास। पर्यावरण की एक रूपरेखा

कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध शासन के लिए एक ऐसे शासन की आवश्यकता होती है जिसमें प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थान हों। उत्तरदायी, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधि निर्णय लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण शासन की स्थापना की गई है कानून का शासन और हमारे संविधान के मूल्यों से उभरता है। जहां संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार को संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त मूल्य के रूप में संरक्षित करने के लिए पर्यावरण का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, वहां पर्यावरण संबंधी निर्णय लेने के लिए उचित संरचनाएं मनमाने ढंग से कार्रवाई करने और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निष्पक्ष व्यवहार के सकारात्मक कर्तव्य के खिलाफ गारंटी में अभिव्यक्ति पाती हैं।

संविधान। सतत् विकास केवल इस पर आधारित नहीं है

पर्यावरण की सुरक्षा में लोकतांत्रिक संस्थानों की विफलता का निवारण, लेकिन यह सुनिश्चित करना कि ऐसी विफलताएं न हों।

55. लाल बहादुर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, इस न्यायालय ने उन सिद्धांतों को रेखांकित किया जो हमारे पर्यावरण न्यायशास्त्र की आधारशिला हैं, जो पूर्ववर्ती की एक स्थापित रेखा से उभर रहे हैं: द.

एहतियाती सिद्धांत, प्रदूषक सिद्धांत और टिकाऊ भुगतान करता है

विकास। इस न्यायालय ने आगे न्यायिक के महत्व पर ध्यान दिया पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप। हाल के एक फैसले में

9 (2018) 15 एससीसी 407।

21] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मेघालय राज्य और अन्य बनाम ऑल दिमासा छात्र संघ 1 0 10 में इस न्यायालय ने भारत में पर्यावरण न्यायशास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों को दोहराया, जबकि रु। 100 अवैध कोयला खनन में शामिल होने के लिए मेघालय राज्य पर करोड़।

56. यू. एन. ई. पी. रिपोर्ट (ऊपर) भी नोट 1 1 पर जाती है:

" न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को सार्थक कानूनी मंजूरी देने में सक्षम होना चाहिए।

विवादों को हल करने और पर्यावरण कानूनों को लागू करने के लिए उपाय। जैसा कि चित्र 5.12 में दिखाया गया है, कानूनी उपचार वे कार्य हैं, जैसे कि जुर्माना, जेल का समय और निषेधाज्ञा, जो अदालतों और न्यायाधिकरणों को आदेश देने के लिए सशक्त हैं। पर्यावरण कानूनों के लिए उनके

वांछित प्रभाव और इसके लिए पर्याप्त प्रोत्साहन

पर्यावरणीय कानूनों का अनुपालन, उपचार दोनों को पिछले पर्यावरणीय नुकसान का निवारण करना चाहिए और भविष्य के नुकसान को रोकना चाहिए।

57. पर्यावरण पर अपनी वैश्विक न्यायिक पुस्तिका में

संविधानवाद, यू. एन. ई. पी. ने आगे उल्लेख किया है 1 2:

" अदालतें मायने रखती हैं। वे कानून के शासन के लिए आवश्यक हैं। अदालतों के बिना, कानूनों की अवहेलना की जा सकती है, कार्यकारी अधिकारियों को अनियंत्रित छोड़ दिया जा सकता है, और लोग बिना किसी सहारा के चले गए।
पर्यावरण और मानव

इससे संबंध प्रभावित हो सकता है। न्यायाधीश उल्लंघन में खड़े होते हैं। "

58. उपरोक्त चर्चा वर्तमान अपीलों में हमारे निर्णय को परिप्रेक्षय में रखती है, जिसके माध्यम से हम द्वारा दिए गए निर्देशों की पुष्टि करेंगे

एनजीटी ने अपने विवादित फैसले में कहा। अदालतों और न्यायाधिकरणों की भूमिका को यह सुनिश्चित करने में अतिरंजित नहीं किया जा सकता है कि "कानून के शासन" की "ढाल" का उपयोग पर्यावरण के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने में एक सुविधाजनक साधन के रूप में किया जा सकता है।

नियम।

1.3 वन भूमि पर अवैध गतिविधियाँ

और अधिक सामान्य रूप से पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करते हुए, और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाती है। हाल ही में मुदुमलाई बनाम इन के आतिथ्य संघ के मामले में इस न्यायालय के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में पर्यावरण और जानवरों की रक्षा 1 3, इस न्यायालय का सामना किया गया था

1 0 10 (2019) 8 एससीसी 177। 11 टिप्पणी 5 पर सुप्रा, पृष्ठ 233।

12 यू. एन. ई. पी., पर्यावरण संविधानवाद पर वैश्विक न्यायिक पुस्तिका (तीसरा संस्करण, 2019), पृष्ठ 7।

13 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 838।

(एच. पी. बी. एस. एम. और डी. ए.) v. केंद्रीय सशक्त समिति ई. टी. सी. और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

हाथी गलियारे में अवैध वाणिज्यिक गतिविधियों से जुड़ी स्थिति के साथ। न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 42 ..... "एहतियाती सिद्धांत" को एक भाग के रूप में स्वीकार किया गया है हमारे देश का कानून। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21,47,48 ए और 51 ए (जी) राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने के लिए एक स्पष्ट जनादेश देते हैं। यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसमें सुधार करे और जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखे। द.

एहतियाती सिद्धांत इसे राज्य के लिए अनिवार्य बनाता है। सरकार पर्यावरण क्षरण के कारणों का अनुमान लगाए, उन्हें रोके और उन पर हमला करे।

60. गोयल गंगा डेवलपर्स इंडिया प्रा. लि. लिमिटेड बनाम भारत संघ 1 4, इस न्यायालय ने एक ऐसी स्थिति से निपटा जिसमें परियोजना प्रस्तावक

वह ऐसे निर्माण में लगा हुआ था जो उसे दी गई पर्यावरण मंजूरी के विपरीत था। परियोजना के प्रस्तावक पर आते हुए, दो न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के माध्यम से बोलते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 64. ऐसा मानते हुए हमारा निश्चित रूप से यह विचार है कि जिस परियोजना प्रस्तावक ने दंड से मुक्त होकर कानून का उल्लंघन किया है, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है

स्कॉट जाने के लिए-मुफ़्त। इस न्यायालय ने कई मामलों में परियोजना लागत का 5 प्रतिशत हर्जाने के रूप में दिया है। यह सामान्य कानून है। हालांकि, वर्तमान मामले में हम महसूस करते हैं कि परियोजना प्रस्तावक के पूरी तरह से कठोर और अप्रमाणिक व्यवहार को ध्यान में रखते हुए नुकसान अधिक होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों और अधिकारियों के साथ पैंतरेबाज़ी और हेरफेर किया है। 12 इमारतों के बजाय, उन्होंने 18 का निर्माण किया है; 552 फ्लैटों से फ्लैटों की संख्या बढ़कर 807 हो गई है और अब 454 फ्लैट वाली दो और
इमारतें प्रस्तावित हैं। परियोजना के प्रस्तावक का कहना है कि उन्होंने छोटे फ्लैट बनाए हैं और इसलिए,

फ्लैटों की संख्या बढ़ी है। वह नए चुनाव आयोग के बिना ऐसा नहीं कर सकते थे। फ्लैटों की संख्या में वृद्धि के साथ उसमें रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होना तय है। यह पानी की आवश्यकता की मात्रा, पार्किंग स्थान की मात्रा, खुले क्षेत्र की मात्रा आदि को प्रभावित करेगा। इसलिए, वर्तमान मामले में, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि परियोजना प्रस्तावक को 100 करोड़ रुपये या परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नुकसान का भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

1 4 14 (2018) 18 एससीसी 257।

21] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कांत एन्क्लेव में अधिनियम, 1900 को "वन भूमि" के रूप में माना जाना था। नतीजतन, केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना भूमि पर किया गया कोई भी निर्माण या "गैर-वन उद्देश्यों" के लिए इसका उपयोग इस प्रावधान का उल्लंघन था: वन अधिनियम और इसलिए अवैध। न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर के माध्यम से बोलते हुए इस न्यायालय के फैसले का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

" 132 ..... आर. कांत एंड कंपनी और हरियाणा राज्य के नगर और ग्रामीण विभाग को दिनांकित 18-8-1992 की वैधानिक अधिसूचना और अधिसूचना द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में पूरी तरह से पता है। आर. कांत एंड कंपनी और हरियाणा राज्य के टाउन एंड कंट्री विभाग को भी इस बात की पूरी जानकारी थी कि कांत एन्क्लेव एक वन या वन भूमि है या वन या वन भूमि के रूप में माना जाता है, और इसलिए भूमि पर किया गया कोई भी निर्माण या गैर-वन उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग, केंद्र की पूर्व मंजूरी के बिना।

आर. कांत एंड कंपनी के मौन या अन्यथा समर्थन से कांत एन्क्लेव में निर्माण किए गए (या बनाने की अनुमति दी गई) और हरियाणा राज्य का नगर और ग्राम विभाग। उन्हें इसके लिए भुगतान करना होगा।

62. अपीलों के वर्तमान समूह में, वन भूमि का उपयोग एम. ओ. ई. एफ. द्वारा मैकलियोड गंज में 'पार्किंग स्थान' और 'बस स्टैंड' के निर्माण के विशिष्ट उद्देश्यों के लिए करने की अनुमति दी गई थी। एम. ओ. ई. एफ. ने इस अनुमति की शर्तों को संशोधित नहीं करने का एक सचेत निर्णय लिया, तब भी जब एक ऐसा करने का अवसर। इसलिए, दूसरे प्रतिवादी द्वारा किया गया कोई भी निर्माण, यहां तक कि अपीलार्थी के एच. पी. बस स्टैंड्स अधिनियम के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण होने के कारण भी, अवैध होगा।

I. 4 एन. जी. टी. का अधिकार क्षेत्र

हम न्यायालय (न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी) की ओर से बोलते हुए इस प्रकार अभिनिर्धारित करते हैं:

15 (2018) 18 एससीसी 397।

16 (2020) 9 एससीसी 781।

(एच. पी. बी. एस. एम. और डी. ए.) v. केंद्रीय सशक्त समिति ई. टी. सी. और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" 41. एन. जी. टी. अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण के पास उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत सभी दीवानी मामलों का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र है।

सहित पर्यावरण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न पर्यावरण से संबंधित किसी भी अधिकार का प्रवर्तन शामिल है और ऐसा प्रश्न उक्त अधिनियम की अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होता है, जिसमें वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 शामिल हैं।

42. "संबंधित सारगर्भित प्रश्न" की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए

एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 2 (1) (एम) में, विद्वान न्यायाधिकरण किसी भी विशिष्ट वैधानिक पर्यावरणीय दायित्व के उल्लंघन के प्रश्न की जांच और निर्णय कर सकता है, जो पर्यावरण को प्रभावित करता है या करता है।

व्यक्तियों के एक समूह या बड़े पैमाने पर समुदाय को प्रभावित करने की संभावना। 43. एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 14 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए, किसी भी कानूनी सहित कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होना चाहिए।

पर्यावरण का अधिकार और ऐसा प्रश्न निर्दिष्ट अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होना चाहिए।

44. किसी भी विशिष्ट वैधानिक पर्यावरणीय दायित्व का उल्लंघन कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म देता है न कि केवल वैधानिक

अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत दायित्व। हालांकि, सवाल एक के कार्यान्वयन से उत्पन्न होना चाहिए या

अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियमों में से अधिक।

टी. सी. पी. अधिनियम के प्रावधानों में अपीलकर्ता और दूसरे प्रतिवादी को पहले टी. सी. पी. विभाग से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता थी।

उनके निर्माण के माध्यम से भूमि की प्रकृति को बदलना। इस शर्त का पालन न करने से उनके पर्यावरणीय दायित्वों का उल्लंघन हुआ। किसी भी मामले में, यह प्रश्न अकादमिक है क्योंकि एनजीटी का विवादित निर्णय अपीलार्थी और दूसरे प्रतिवादी द्वारा वन अधिनियम की धारा 2 के उल्लंघन में अपने निर्णय को आधार बनाता है, जो एनजीटी अधिनियम की अनुसूची I के भीतर मौजूद एक अधिनियम है।

जे. निष्कर्ष

64. उपरोक्त हमारे विश्लेषण के आधार पर, हम एनजीटी द्वारा अपने फैसले में जारी किए गए निर्देशों को बरकरार रखते हैं। पहले के आदेशों के अनुसार

16 मई 2016 और 9 सितंबर 2016 को इस अदालत ने केवल होटल-सह-रेस्तरां संरचना के विध्वंस के संबंध में एनजीटी के निर्देश पर रोक लगा दी। अपीलार्थी ने [2021] 1 एस. सी. आर. प्रस्तुत करते हुए बस स्टैंड परिसर में होटल-सह-रेस्तरां संरचना के विध्वंस के खिलाफ बहस करने की कोशिश की है।

निर्णय की तारीख से दो सप्ताह के भीतर और उसके बाद एक महीने के भीतर दूसरे प्रतिवादी द्वारा संरचना को ध्वस्त कर दिया जाएगा। चूक की स्थिति में, मुख्य वन संरक्षक जिला धर्मशाला के प्रशासन के साथ संरचना को ध्वस्त कर देंगे और दूसरे प्रत्यर्थी से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में लागत और व्यय की वसूली।

66. इसके अलावा, एन. जी. टी. के निर्देशानुसार, हिमाचल प्रदेश राज्य

और दूसरा उत्तरदाता पार्किंग स्थान और बस का उपयोग कर सकता है।

होटल-सह-रेस्तरां संरचना के विध्वंस के बाद बस स्टैंड परिसर में खड़े हों। हालाँकि, यह एमओईएफ द्वारा जारी 12 नवंबर 1997 और 1 मार्च 2001 के आदेशों के अनुसार होना चाहिए, यानी इसका उपयोग कारों और बसों की पार्किंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

67. अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

68. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपी

लों का निपटारा किया गया।